अध्याय II

राज्य का वित्त

यह अध्याय वर्ष 2019–20 के लिए बिहार सरकार के वित्त का एक लेखापरीक्षा परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत करता है और पिछले वर्षों से संबंधित राज्य के वित्त लेखों में निहित विवरण के आधार पर प्रमुख राजकोषीय संग्रह में महत्वपूर्ण परिवर्तनों का विश्लेषण और 31 मार्च 2020 को राजकोषीय स्थिति का आकलन करता है।

2.1 2018–19 की तुलना में प्रमुख राजकोषीय संग्रह में प्रमुख परिवर्तन

यह खंड पिछले वर्ष की तुलना में वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य के प्रमुख वित्तीय संग्रह में बड़े बदलावों का एक विहंगम दृश्य प्रस्तुत करता है। इनमें से प्रत्येक संकेतक निम्नलिखित पैराग्राफ में विश्लेषण करता है।

तालिका 2.1: 2018–19 की तुलना में 2019–20 में प्रमुख राजकोषीय संग्रहों में परिवर्तन

राजस्व प्राप्तियाँ	✓ राज्य के राजस्व प्राप्तियों में 5.74 प्रतिशत की कमी। ✓ राज्य के स्व कर प्राप्तियों में 2.55 प्रतिशत की वृद्धि। ✓ स्व करेत्तर प्राप्तियों में 10.43 प्रतिशत की कमी। ✓ संघीय करों और शुल्कों में राज्य की हिस्सेदारी में 13.85 प्रतिशत की कमी। ✓ भारत सरकार से सहायता अनुदान में 9.40 प्रतिशत की वृद्धि।
राजस्व व्यय	✓ राजस्व व्यय में 0.90 प्रतिशत की वृद्धि। ✓ सामान्य सेवाओं पर राजस्व व्यय में 7.59 प्रतिशत की वृद्धि। ✓ सामाजिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में 0.80 प्रतिशत की कमी। ✓ आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में 4.82 प्रतिशत की कमी। ✓ सहायता अनुदान पर व्यय में 59.34 प्रतिशत की कमी।
पूँजीगत व्यय	✓ पूँजीगत व्यय में 41.57 प्रतिशत की कमी। ✓ सामान्य सेवाओं पर पूँजीगत व्यय में 27.88 प्रतिशत की कमी। ✓ सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय में 30.99 प्रतिशत की कमी। ✓ आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय में 48.03 प्रतिशत की कमी।
ऋणों और अग्रिमों	✓ ऋणों और अग्रिमों के संवितरण में 54.69 प्रतिशत की कमी। ✓ ऋण एवं अग्रिम की वसूली में 98.33 प्रतिशत की कमी।
लोक ऋण	✓ लोक ऋण प्राप्तियों में 56.12 प्रतिशत की वृद्धि। ✓ लोक ऋण की अदायगी में 1.66 प्रतिशत की कमी।
लोक लेखा	✓ लोक लेखा प्राप्तियों में 19.67 प्रतिशत की वृद्धि। ✓ लोक लेखे के संवितरण में 21.36 प्रतिशत की वृद्धि।
नकद शेष	✓ 2019–20 के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में नकद शेष में ₹ 430.95 करोड़ की वृद्धि (19.56 प्रतिशत)।

2.2 निधियों के स्रोत और अनुप्रयोग

यह भाग पिछले वर्ष की तुलना में वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य के निधियों के स्रोतों और अनुप्रयोग के घटकों की तुलना करता है। विस्तृत विवरण ***परिशिष्ट 2.1*** में शामिल है।

तालिका 2.2: 2018–19 और 2019–20 के दौरान निधियों के स्रोत और अनुप्रयोग का विवरण

(₹ करोड़ में)

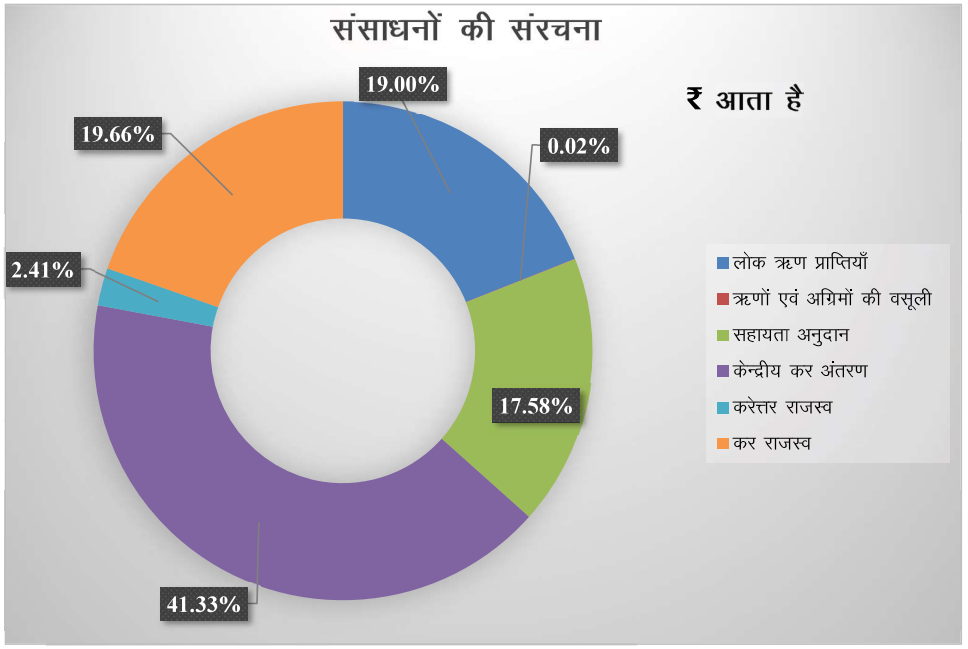
	विवरणी	2018-19	2019-20	वृद्धि / कमी
स्रोत	आर.बी.आई. के पास आंरभिक नकद शेष	22,081	20,837	(-)1,244
	राजस्व प्राप्तियाँ	1,31,794	1,24,233	(-)7,561
	ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली	1,825	30	(-)1,795
	लोक ऋण प्राप्तियाँ (निवल)	11,438	22,035	10,597
	लोक लेखा प्राप्तियाँ (निवल)	1,124	(-)3,235	(-)4,359
	कुल	**1,68,262**	**1,63,900**	**(-)4,362**

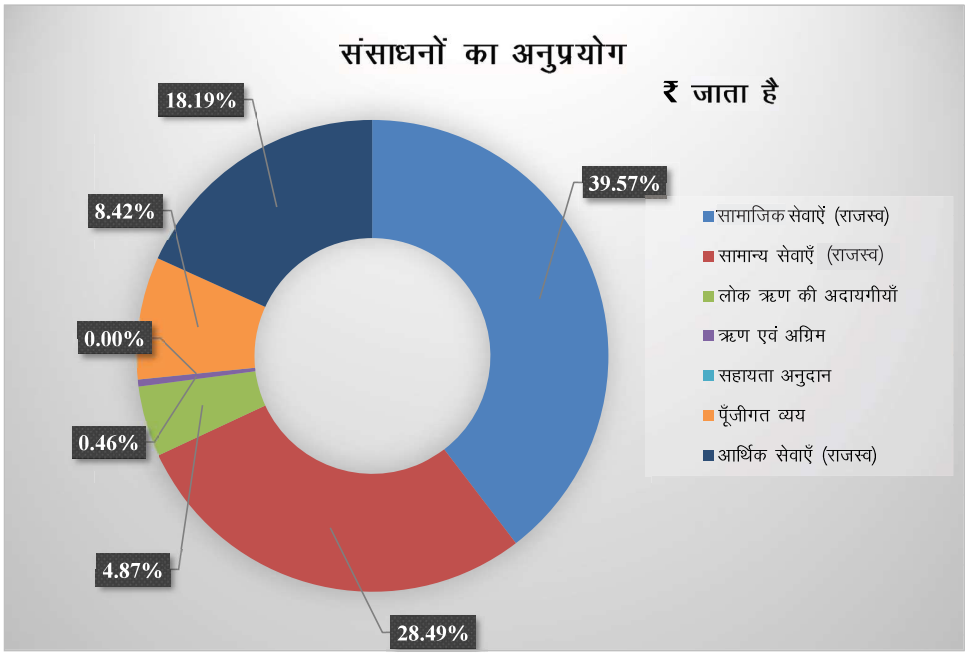
	विवरणी	2018-19	2019-20	वृद्धि / कमी
अनुप्रयोग	राजस्व व्यय	1,24,897	1,26,017	1,120
	पूँजीगत व्यय	21,058	12,304	(-)8,754
	ऋणों और अग्रिमों का संवितरण	1,470	666	(-)804
	आर.बी.आई. के पास अंतिम नकद शेष	20,837	24,913	4,076
	कुल	**1,68,262**	**1,63,900**	**(-)4,362**

(स्रोतः वर्ष 2019–20 के वित्त लेखे)

चार्ट 2.1 में वर्ष 2019–20 के दौरान संचित निधि से प्राप्तियों एवं व्यय का विवरण प्रतिशत में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.1: संसाधनों की संरचना / अनुप्रयोग





(स्रोतः वर्ष 2019–20 के वित्त लेखे)

विश्लेषण से पता चला कि:–

- राजस्व व्यय मुख्य रूप से राजस्व प्राप्तियों से पूरा किया जाता था जिसमें लोक ऋण की भी सहभागिता थी;
- सामान्य सेवाओं (राजस्व) में, 46.38 प्रतिशत वेतन एवं मजदूरी शामिल थी;
- लोक ऋण पुनर्भुगतान (35.85 प्रतिशत) के अलावा, ब्याज भुगतान 6.70 प्रतिशत था जिसमें कुल पुनर्भुगतान समेकित निधि का 42.55 प्रतिशत था;
- घाटे के वित्तपोषण की भरपाई उधार के माध्यम से की गई जो कुल संसाधनों का सात प्रतिशत था।

2.3 राज्य के संसाधन

राज्य के संसाधनों का विवरण नीचे दिया गया है:

1. **राजस्व प्राप्तियों** में कर राजस्व, करेत्तर राजस्व, संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य का हिस्सा तथा भारत सरकार से सहायता अनुदान शामिल हैं।

2. **पूँजीगत प्राप्तियों** में विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ जैसे विनिवेश से प्राप्त आय, ऋण एवं अग्रिम की वसूली, आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियाँ (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थानों/वाणिज्यिक बैंकों से उधार), और भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम शामिल है।

 राजस्व एंव पूँजीगत प्राप्तियाँ दोनों राज्य के संचित निधि का हिस्सा है।

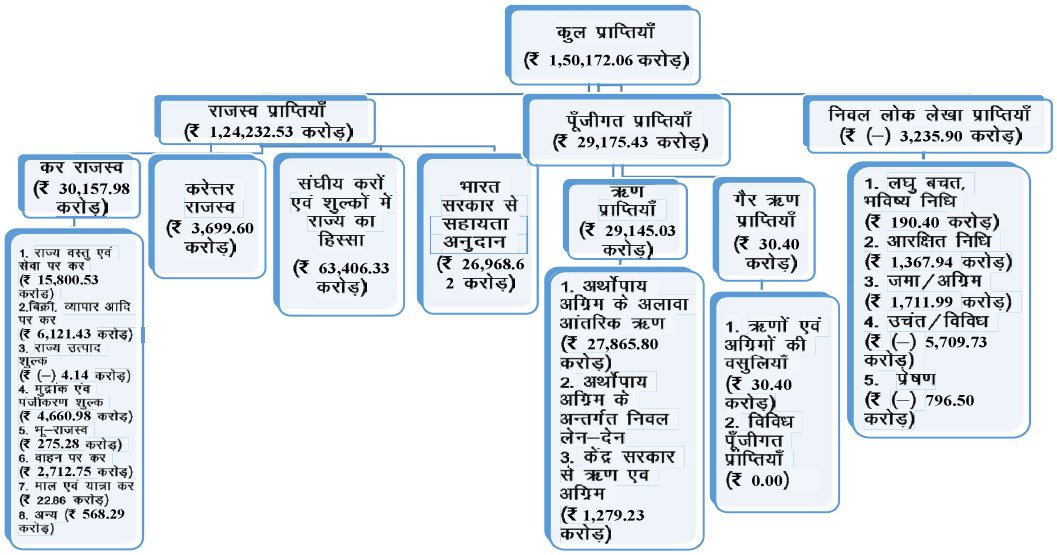
3. **निवल लोक लेखा प्राप्तियाँ**: प्राप्तियाँ और संवितरण से संबंधित कुछ ऐसे लेनदेन होते है जैसे लघु बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधि, जमा, उचंत, प्रेषण, आदि जो समेकित निधि का हिस्सा नहीं होते हैं।

इन्हें संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के तहत स्थापित लोक लेखा में रखा जाता है और ये विधायिका के मत के अधीन नहीं होते हैं। यहाँ सरकार एक बैंकर के रूप में कार्य करती है। संवितरण के बाद शेष राशि, सरकार के पास उपयोग हेतु उपलब्ध निधि होती है।

2.3.1 राज्य की प्राप्तियाँ

यह समग्र प्राप्तियों की संरचना प्रदान करता है। पूँजीगत और राजस्व प्राप्तियों के अतिरिक्त लोक लेखे में उपलब्ध निधि (संवितरण निवल) का उपयोग सरकार द्वारा अपने घाटे को पूरा करने के लिए किया जाता है।

चार्ट 2.2: 2019–20 के दौरान राज्य की प्राप्तियों की संरचना



(स्रोतः वर्ष 2019–20 के वित्त लेखे)

वर्ष 2019–20 के दौरान कुल प्राप्तियों, राजस्व प्राप्तियों, पूँजीगत प्राप्तियों और निवल लोक लेखा प्राप्तियों से योगदान क्रमशः 82.72 प्रतिशत, 19.43 प्रतिशत और (–)02.15 प्रतिशत था जिसका विवरण बाद के पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

2.3.2 राज्य के राजस्व प्राप्तियाँ

यह कुल राजस्व प्राप्तियों एवं उनके घटकों का प्रवृत्ति देता है। तत्पश्चात प्राप्तियों की प्रवृत्तियों को केंद्र सरकार एवं राज्य की स्वयं प्राप्तियों से प्राप्तियों में विभाजित किया जाता है।

2.3.2.1 *राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि एंव प्रवृत्ति*

सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष में राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति तथा राजस्व प्राप्तियों की संरचना **तालिका 2.3** में दी गई है।

तालिका 2.3: राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

मापदंडों	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
राजस्व प्राप्तियाँ (आर.आर.) (₹ करोड़ में)	96,123	1,05,585	1,17,447	1,31,794	1,24,233
आर.आर. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	22.58	9.84	11.23	12.22	(-) 5.74
कर राजस्व	25,449	23,742	23,137	29,408	30,158
करेत्तर राजस्व	2,186	2,403	3,507	4,131	3,700
राजस्व की वृद्धि दर (स्वयं कर एवं करेत्तर राजस्व) (प्रतिशत)	23.88	(-) 5.39	1.91	25.88	0.95
सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य (₹ करोड़ में) (2011–12 श्रृंखला)	3,71,602	4,21,051	4,68,746	5,30,363	6,11,804
जी.एस.डी.पी.की वृद्धि दर (प्रतिशत)	8.35	13.31	11.33	13.15	15.36
आर.आर./जी.एस.डी.पी. (प्रतिशत)	25.87	25.08	25.06	24.85	20.31
उत्प्लावकता अनुपात[3]					
जी.एस.डी.पी.के सापेक्ष में राजस्व उत्प्लावकता	2.70	0.74	0.99	0.93	(-) 0.37
जी.एस.डी.पी.के सापेक्ष में राज्य का स्वयं राजस्व उत्प्लावकता	2.86	(-) 0.40	0.17	1.97	0.06

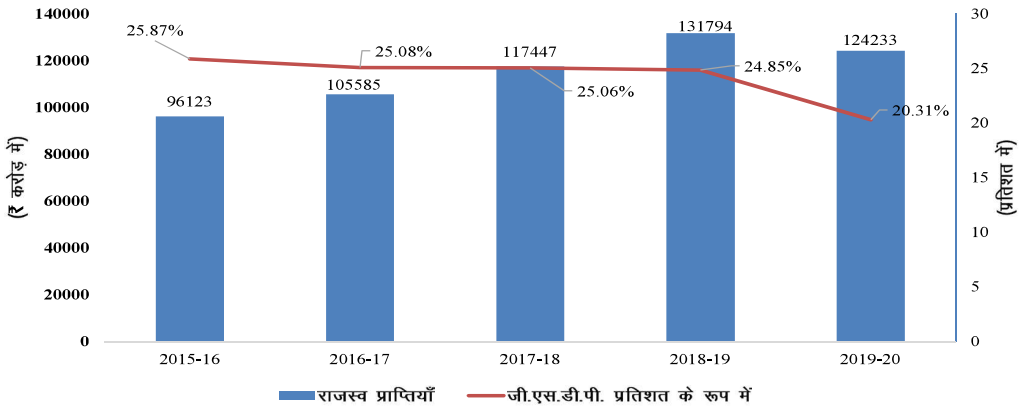
(जी.एस.डी.पी. आंकड़े के स्रोतः – एम.ओ.एस.पी.आई. प्रेस विज्ञपत्ति दिनांक 31.07.2020)

[3] उत्प्लावकता अनुपात आधार चर में दिए गए परिवर्तन के संबंध में एक राजकोषीय चर की लचिलता या प्रतिक्रिया की डिग्री को इंगित करता है।

राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर वर्ष 2019–20 में में पिछले वर्ष की तुलना में 5.74 प्रतिशत की कमी आई। इस वर्ष के दौरान, जी.एस.डी.पी. के संबंध में राजस्व उत्प्लावकता भी नकारात्मक देखा गया है। पिछले पाँच वर्षों के दौरान जी.एस.डी.पी. से संबंधित राजस्व प्राप्तियों का प्रतिशत घटकर 20.31 प्रतिशत हो गया है। राजस्व प्राप्तियों में कमी का कारण, संघीय करों के अंश के तहत ₹ 10,196.80 करोड़ और राज्य की करेत्तर राजस्व में ₹ 430.96 करोड़ की कमी थी।

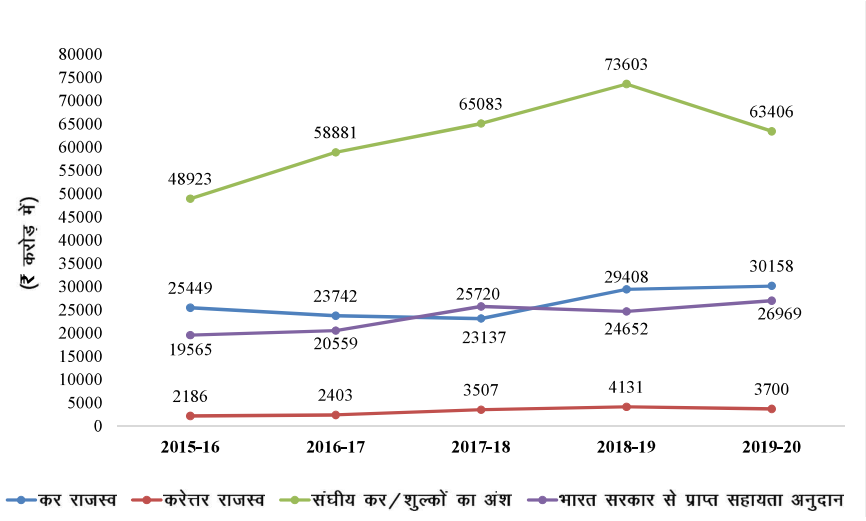
राज्य सरकार को संघीय करों की निवल आय मुख्य रूप से अक्टूबर 2019 (56 प्रतिशत), फरवरी 2020 (17 प्रतिशत), और मार्च 2020 (19 प्रतिशत) के महीनों में प्राप्त हुआ है। वहीं सहायता अनुदान से प्राप्त हुआ एक बड़ा हिस्सा केंद्र सरकार से अक्टूबर 2019 (सहायता अनुदान का लगभग 32 प्रतिशत) और मार्च 2020 में (सहायता अनुदान का लगभग 38 प्रतिशत) प्राप्त हुआ। कुल मिलाकर, संघीय करों और सहायता अनुदान, की निवल आय राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियों का लगभग 73 प्रतिशत है। इसके कारण, राज्य सरकार के राजस्व प्राप्तियों में उपरोक्त अवधियों में अधिक निधि प्रवाह हुआ है, जबकि निधि की प्राप्तियाँ, अप्रैल 2019 से अगस्त 2019 के महीने के दौरान नाममात्र थीं। इसलिए, राज्य अपने खर्च को अप्रैल 2019 से अगस्त 2019 तक, नकद शेष निवेश लेखों, राज्य का कर राजस्व, और करेत्तर राजस्व से पूरा करता है।

चार्ट 2.3: जी.एस.डी.पी. के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

चार्ट 2.4: राजस्व प्राप्तियों के घटकों की प्रवृत्ति



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

उपरोक्त **चार्ट 2.4** इंगित करता है कि राजस्व प्राप्तियों के प्रमुख घटक, संघीय करों एवं शुल्कों का अंश (51 प्रतिशत) तथा भारत सरकार से सहायता अनुदान (22 प्रतिशत) था। राजस्व प्राप्तियों का केवल 27 प्रतिशत राज्य के स्वयं कर राजस्व का हिस्सा है जो दर्शाता है कि बिहार सरकार अधिकांशतः भारत सरकार पर निर्भर है क्योंकि राज्य की राजस्व प्राप्तियों का 73 प्रतिशत भारत सरकार से ही आता है।

राज्य की राजस्व प्राप्तियों से संबंधित सामान्य प्रवृत्तियाँ इस प्रकार हैं:–

- पिछले वर्ष की तुलना में 2019–20 के दौरान राजस्व प्राप्तियों में ₹ 7,561 करोड़ (5.74 प्रतिशत) की कमी आयी। संघीय करों और शुल्कों में राज्य के हिस्से में ₹ 10,197 करोड़ (13.85 प्रतिशत) की कमी आई, इसके साथ करेत्तर राजस्व में ₹ 431 करोड़ (10.43 प्रतिशत) की कमी आयी। जबकि कर राजस्व में ₹ 750 करोड़ (2.55 प्रतिशत) और भारत सरकार से सहायता अनुदान में ₹ 2,317 करोड़ (9.40 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।
- वर्ष 2019–20 के दौरान, राजस्व का 27.25 प्रतिशत राज्य के अपने संसाधनों से आया और शेष केंद्रीय कर अंतरण और सहायता अनुदान के रूप में भारत सरकार से प्राप्त हुआ। यह इस तथ्य का द्योतक है कि बिहार की वित्तीय स्थिति काफी हद तक कर अंतरण और भारत सरकार से सहायता अनुदान से प्रभावित है।
- जैसा कि **तालिका 2.3** से देखा जा सकता है, 2015–16 के दौरान राजस्व उत्प्लावकता हालांकि एक से अधिक था, 2019–20 के दौरान एक से कम हो गया, यह दर्शाता है कि राजस्व प्राप्तियाँ जी0एस0डी0पी0 की तुलना में कम उत्साहजनक रही। जैसे–जैसे जी0एस0डी0पी0 बढ़ता है, राज्य सरकार की अपनी राजस्व जुटाने की क्षमता भी बढ़नी चाहिए। **तालिका 2.3** यह भी दर्शाती है कि राज्य 2018–19 के दौरान जी.एस.डी.पी. के साथ तालमेल रखते हुए अपने स्वयं संसाधनों में वृद्धि करने में सक्षम था। हालांकि, 2019–20 के दौरान करेत्तर राजस्व के संग्रह में कमी ने राजस्व उत्प्लावकता को नकारात्मक स्तर तक कम कर दिया।

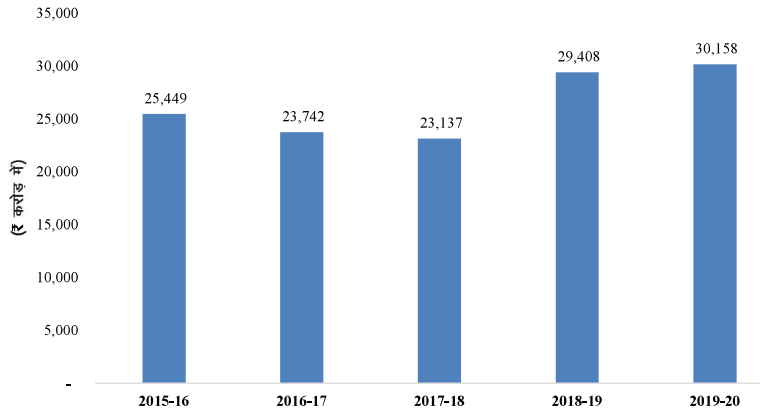
2.3.2.2 *राज्य के अपने संसाधन*

अतिरिक्त संसाधनों को जुटाने में राज्य के प्रदर्शन का आकलन उसके अपने संसाधनों के संदर्भ में किया जा सकता है जिसमें उसके कर एवं करेत्तर स्रोतों से राजस्व शामिल हैं।

कर राजस्व

राज्य के कर राजस्व में राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एस0जी0एस0टी0), मुद्रांक शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क, वाहनों पर कर, बिक्री, व्यापार आदि पर कर, भू–राजस्व, माल एवं यात्री कर आदि शामिल हैं।

चार्ट 2.5: 2015-20 के दौरान कर राजस्व में वृद्धि



(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

तालिका 2.4: राज्य के कर राजस्व के घटक

(₹ करोड़ में)

राज्य के कर राजस्व के घटक						
	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	स्पार्क लाईन
बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	10,603	11,873	8,298	6,584	6,121	
राज्य वस्तु एवं सेवा कर	0	0	6,747	15,288	15,801	
राज्य उत्पाद शुल्क	3,142	30	-3	-10	-4	
मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन शुल्क	3,409	2,982	3,726	4,189	4,661	
वाहन कर	1,081	1,257	1,599	2,086	2,713	
भू–राजस्व	695	971	779	477	275	
माल एवं यात्रियों पर कर	6,087	6,245	1,645	399	23	
अन्य कर*	432	384	346	395	568	
योग	**25,449**	**23,742**	**23,137**	**29,408**	**30,158**	

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)
** अन्य करों में शामिल है [4]*

बिक्री, व्यापार और माल एवं यात्री आदि पर करों में कमी जुलाई 2017 से वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) के कार्यान्वयन के कारण हुई थी। एस.जी.एस.टी. में वृद्धि मुख्य रूप से एस.जी.एस.टी. और आई.जी.एस.टी. के टैक्स और इनपुट टैक्स क्रेडिट क्रॉस उपयोगिता के तहत अधिक प्राप्तियों के कारण हुई थी। इसके अलावा स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क में वृद्धि दस्तावेजों को छापने के शुल्क और दस्तावेजों के पंजीकरण के लिए शुल्क में वृद्धि के कारण हुई थी। राज्य उत्पाद शुल्क में कमी अप्रैल 2016 से राज्य में लगाए गए मद्य निषेध के कारण थी। प्रतिदाय के कारण शेष राशि नकारात्मक था।

मासिक सिविल लेखा से पता चलता है कि राज्य को अप्रैल 2019 और मई 2019 में कम राजस्व प्राप्त हुआ है, जबकि एक बड़ा हिस्सा सितंबर 2019 (20 प्रतिशत) के महीनों में प्राप्त हुआ, जो कि एस.जी.एस.टी. शीर्ष और मार्च 2020 (15 प्रतिशत) में बिक्री और व्यापार शीर्ष के माध्यम से उच्च प्राप्तियों के कारण हुआ।

राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एस.जी.एस.टी.)

जी.एस.टी. (राज्यों को मुआवजा) अधिनियम 2017 के अनुसार, केंद्र सरकार आधार वर्ष से पाँच साल की अवधि के लिए 14 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि पर विचार करते हुए जी.एस.टी. के कार्यान्वयन के कारण होने वाले राजस्व के नुकसान की क्षतिपूर्ति करेगी। केंद्र वस्तुओं और सेवाओं की अंतर–राज्य आपूर्ति पर एकीकृत जी.एस.टी. (आई.जी.एस.टी.) लगाता है और राज्य के हिस्से को उस राज्य में विभाजित करता है जहां वस्तुओं या सेवाओं की खपत होती है।

आधार वर्ष के आँकड़ों के अनुसार, वर्ष 2019–20 (1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020) के लिए संरक्षित राजस्व ₹ 21,315.60 करोड़ था। वर्ष 2019–20 के दौरान, ₹ 21,315.60 करोड़ के संरक्षित राजस्व के विरूद्ध राज्य सरकार की राजस्व प्राप्ति जी.एस.टी. में ₹ 15,869.97 करोड़ (वर्ष 2018–19 के लिए प्राप्त ₹ 326.00 करोड़ को छोड़कर) था। 2019–20 के दौरान बिहार सरकार को प्राप्त मुआवजा ₹ 3,198.78 करोड़ था। जी.एस.टी. के कार्यान्वयन के कारण, कमी ₹ 2,246.85 करोड़ वर्ष 2020–21 में (₹ 2,265.20 करोड़) क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त हुआ (₹ 18.35 करोड़ वास्तविक क्षतिपूर्ति से अधिक प्राप्त हुआ)।

[4] व्यवसायों, व्यापारों, कॉलिंग और रोजगार पर कर, बिजली शुल्क तथा अन्य करों और वस्तुओं और सेवाओं पर शुल्क

इसके अलावा, जी.एस.टी.एन. (गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क) परिसर में अखिल भारतीय डेटा तक पहुंच प्रदान करने के भारत सरकार के निर्णय को 22 जून 2020 को अवगत कराया गया था। 31 मार्च 2020 तक राज्य सरकार द्वारा कोई बैक–इन्ड डाटा उपलब्ध नहीं कराया गया। यद्यपि जी.एस.टी. के बैक–इन्ड डाटा और संबंधित अधिकारियों के यूजर आई.डी. एवं पासवर्ड बनाये गये (फरवरी 2021), फिर भी सिर्फ एम.आई.एस. सूचना की पहुँच ही दी गई जी.एस.टी. पोर्टल के मूल दस्तावेजों के बदले में। इसलिए, वर्ष 2019–20 में खातों का सत्यापन जाँच परीक्षा के आधार पर किया गया, जैसे अभिलेख मैन्युअलि रखा गया हो, लेखापरीक्षा को जी.एस.टी.एन. डाटा तक पहुंच प्रदान करने के भारत सरकार के निर्णय का पूर्ण कार्यान्वयन लंबित था।

बकाया राजस्व एवं निर्धारित बकाया राशि का विश्लेषण

राजस्व का बकाया सरकार के राजस्व की वसूली में देरी को दर्शाता है। इसी प्रकार, निर्धारण की बकाया राशि संभावित राजस्व को दर्शाती है जो विलंबन निर्धारण के कारण अवरुद्ध है। दोनों राज्य को संभावित राजस्व प्राप्तियों से वंचित करते हैं और अंततः राजस्व घाटे को प्रभावित करते हैं। बकाया राजस्व का विवरण **तालिका 2.5** में है।

तालिका 2.5: राजस्व का बकाया

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व प्रमुख	विभाग का नाम	31 मार्च 2019 तक कुल बकाया राशि	31 मार्च 2020 तक कुल बकाया राशि	पाँच साल से अधिक समय से बकाया राशि
1.	वाहनों पर कर	परिवहन	179.30	187.07	-
2.	राज्य उत्पाद शुल्क	निषेध, उत्पाद शुल्क और पंजीकरण	46.54	53.19	17.38
3.	वैट/बिक्री व्यापार आदि।	वाणिज्यिक कर	3,351.16	3,696.69	2,782.00
4.	गैर लौह खनन और धातुकर्म उद्योग	खान और भूविज्ञान	-	360.33	218.12
5.	राजस्व और भूमि सुधार	राजस्व और भूमि सुधार	-*	256.96	115.10
कुल			**3,577.00**	**4,554.24**	**3,132.60**

(स्रोतः संबंधित विभाग)

** (2018–19 के लिए विभाग द्वारा सूचना प्रदान नहीं की गई है)*

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि पिछले वर्ष (₹ 3,351.16 करोड़) 2018–19 की तुलना में वैट/बिक्री व्यापार में बकाया राजस्व में ₹ 345.53 करोड़ (10.31 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। राजस्व के बकाया के लिए देखे गए विभिन्न कारणों में भू–राजस्व के बकाया की वसूली, न्यायालयों/अपीलीय प्राधिकारियों द्वारा रोकी गई वसूली, निर्धारितों/डीलरों के दिवालिया होने के कारण रोकी गई वसूली आदि थे।

विभाग द्वारा पता लगाए गए कर का अपवंचन, वापसी के मामलों आदि का विवरण

उत्पाद शुल्क एवं कराधान विभाग द्वारा पता लगाए गए कर के अपवंचन के मामले, मामलों को अंतिम रूप देना और अतिरिक्त कर की मांग राज्य सरकार के राजस्व संग्रह प्रयासों के महत्वपूर्ण संकेतक हैं। प्रतिदाय प्रकरणों के निस्तारण में तत्परता विभाग के निष्पादन का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। पता लगाए गए कर की अपवंचन **तालिका 2.6** में है।

तालिका 2.6: पता लगाए गए कर का अपवंचन

क्र. सं.	राजस्व प्रमुख शीर्ष	लंबित मामले 31 मार्च 2019	हटायें गए मामले 31 मार्च 2020	कुल	उन मामलों की संख्या जिनमें निर्धारण/जांच पूरी हुई और जुर्माने आदि के साथ अतिरिक्त मांग उठाई गई		अंतिम रूप देने के लिए लंबित मामलों की संख्या 31 मार्च 2020
					मामलो की संख्या	मांग की राशि (₹ करोड़ में)	
1.	बिक्री, व्यापार पर कर/जी.एस.टी.	-	266	266	223	554.08	43
2.	उत्पाद शुल्क	11	-	11	-	0.44	11
कुल		**11**	**266**	**277**	**223**	**554.52**	**54**

(स्रोतः बिहार सरकार के संबंधित विभाग)

वर्ष के दौरान, मूल्यांकन/जांच के लिए वैट/बिक्री व्यापार/जी.एस.टी. में कुल 266 मामलों का पता चला। जिसमें से 223 मामलों का निर्धारण पूरा कर लिया गया था और ₹ 554.08 करोड़ के अर्थदंड के साथ अतिरिक्त मांग उठाई गई थी। 31 मार्च 2020 तक कुल 54 मामले अंतिम रूप देने के लिए लम्बित थे। इसके अलावा, राज्य उत्पाद शुल्क विभाग में, नौ मामलों में ₹ 62.28 करोड़ की राशि अभी भी बकाया थी।

करेत्तर राजस्व

करेत्तर राजस्व में ब्याज प्राप्तियाँ, लाभांश और लाभ, खनन प्राप्तियाँ, विभागीय प्राप्तियाँ आदि शामिल हैं। राज्य के करेत्तर राजस्व के घटकों को **तालिका 2.7** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.7: राज्य के करेत्तर राजस्व के घटक

(₹ करोड़ में)

करेत्तर राजस्व के घटक						
	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	स्पार्क लाईन
ब्याज प्राप्तियाँ	583.66	939.91	1,577.24	1,371.94	1,416.48	
लाभांश तथा लाभ	14.84	3.73	1.34	13.67	1.62	
अन्य करेत्तर प्राप्तियाँ	1,587.14	1,459.48	1,928.16	2,744.95	2,281.50	
(अ) मुख्य एवं मध्यम सिंचाई	20.25	16.58	27.43	52.77	24.32	
(ब) सड़क परिवहन	0.14	0.19	0.17	0.19	0.20	
(स) शहरी विकास	-	0.71	7.43	0.94	4.80	
(द) शिक्षा	41.30	17.09	21.47	18.85	17.13	
(इ) गैर लौह खनन धातुकर्म	971.34	997.60	1,082.67	1,560.65	1,572.07	
(फ) अन्य या विविध	554.11	427.31	788.99	1,111.55	662.98	
कुल	**2,185.64**	**2,403.12**	**3,506.74**	**4,130.56**	**3,699.60**	

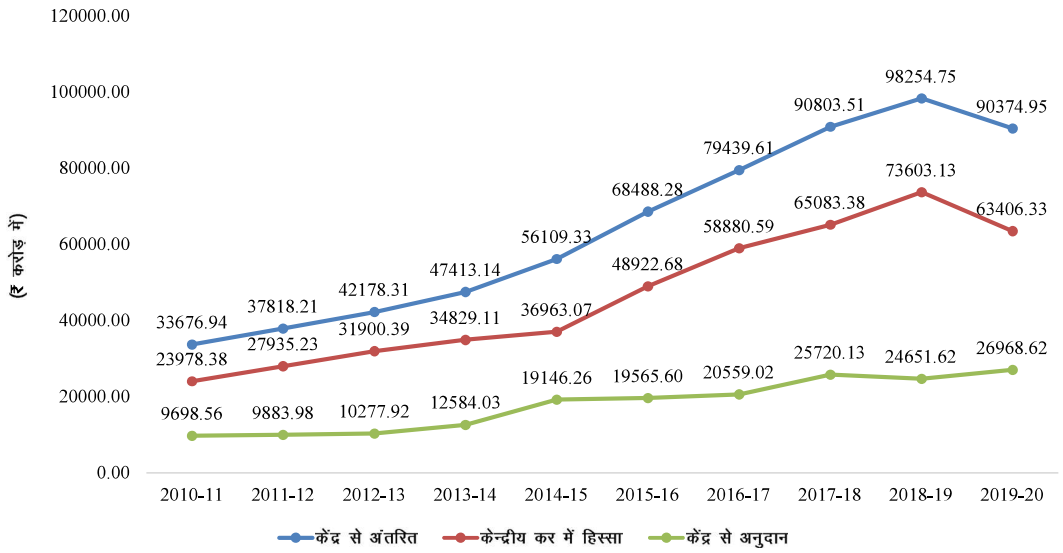
(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

वर्ष के दौरान, करेत्तर राजस्व ₹ 4,130.56 करोड़ से घटकर ₹ 3,699.60 करोड़ हो गया। यह मुख्य रूप से कम प्राप्तियों पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के योगदान की वसूली के लिए ₹ 557.13 करोड़ (उत्तरवर्ती राज्यों के बीच पेंशन देनदारियों का विभाजन जनसंख्या अनुपात के आधार पर होगा) के कारण था। इसके अलावा, राज्य के लाभांश और लाभ में ₹12.05 करोड़ की कमी आई है। हालांकि, ब्याज प्राप्तियों में वृद्धि नकद शेष (₹ 938.84 करोड़), सहकारी समितियों (₹ 121.64 करोड़) और अन्य प्राप्तियों (₹ 478.09 करोड़) के निवेश से ब्याज के कारण हुई थी।

2.3.2.3 केंद्र से अंतरण

केंद्र से निधि अंतरण मुख्य रूप से वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर निर्भर करता है और यह पिछले पाँच वर्षों के लिए राज्य की राजस्व प्राप्तियों का लगभग 70 प्रतिशत से अधिक का योगदान करता है। भारत सरकार के अनुदानों का विवरण **चार्ट 2.6** में नीचे दिया गया है।

चार्ट 2.6: केंद्र से अंतरण की प्रवृत्ति



(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

केंद्र का अंतरण वर्ष 2010–11 में ₹ 33,676.94 करोड़ से बढ़ कर 2019–20 में ₹ 90,374.95 करोड़ हो गया लेकिन पिछले वर्ष की तुलना में काफी घट गया क्योंकि केंद्रीय कर में हिस्सा ₹ 10,196.80 करोड़ से घट गया।

केंद्रीय कर अंतरण

तालिका 2.8: केंद्रीय कर अंतरण

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
केंद्रीय माल और सेवा कर (सी.जी.एस.टी.)	-	-	925.48	18,166.79	17,992.97
एकीकृत माल और सेवा कर (आई.जी.एस.टी.)	-	-	6,572.00	1,449.80	0.00
निगम कर	15,377.40	18,889.20	19,935.56	25,596.84	21,618.94
आय पर निगम कर से अतिरिक्त कर	10,643.04	13,128.06	16,834.16	18,850.99	16,939.90
सीमा शुल्क	7,849.43	8,125.40	6,570.00	5,217.40	4,019.07
संघ उत्पाद शुल्क	6,577.11	9,278.51	6,867.50	3,467.28	2,794.34
सेवा कर	8,430.37	9,416.01	7,379.29	673.31	0.00
अन्य कर[5]	45.33	43.41	(-) 0.61	180.72	41.11
केंद्रीय कर अंतरण	**48,922.68**	**58,880.59**	**65,083.38**	**73,603.13**	**63,406.33**
पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि का प्रतिशत	32.36	20.35	10.53	13.09	(-)13.85
राजस्व प्राप्तियों में केंद्रीय कर अंतरण की प्रतिशतता	50.90	55.77	55.42	55.85	51.04

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

[5] धन पर कर, आय और व्यय पर अन्य कर, वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क सम्मिलित

राज्य के निवल प्राप्ति में कमी के कारण केंद्रीय कर अंतरण पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 10,196.80 करोड़ (13.85 प्रतिशत) से घट गया। वर्ष के दौरान, आई.जी.एस.टी. का अवक्रमण पिछले वर्ष के ₹ 1,449.80 करोड़ से शून्य हो गया।

भारत सरकार द्वारा प्राप्त सहायता अनुदान

वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्य सरकार को सहायता अनुदान और केंद्रीय करों और शुल्कों का हिस्सा प्राप्त होता है। भारत सरकार के अनुदानों का विवरण **तालिका 2.9** में नीचे दिया गया है।

तालिका 2.9: भारत सरकार द्वारा प्राप्त सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
गैर–योजना अनुदान	3,434.43	4,505.51	(-) 5.00	0.00	0.00
राज्य योजना योजनाओं के लिए अनुदान	13,886.33	13,952.92	(-) 2.20	(-) 2.82	(-) 40.27
केंद्रीय योजना योजनाओं के लिए अनुदान*	2,083.98	1,422.91	0.00	0.00	0.00
केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए अनुदान (सी.एस.एस.)	0.00	0.00	13,312.26	16,322.72	15,302.04
केंद्र प्रायोजित योजना योजनाओं के लिए अनुदान	160.86	677.68	(-) 1.00	0.00	0.00
वित्त आयोग अनुदान	0.00	0.00	4,525.06	4,775.20	7,343.61
अन्य अंतरण/राज्यों/विधान सभा वाले केन्द्र शासित प्रदेश को अनुदान	0.00	0.00	7,891.01	3,556.52	4,363.24
कुल	**19,565.60**	**20,559.02**	**25,720.13**	**24,651.62**	**26,968.62**
पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि का प्रतिशतता	2.19	5.08	25.10	(-) 4.15	9.40
राजस्व प्राप्तियों में अनुदान का प्रतिशतता	20.35	19.47	21.90	18.70	21.71

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

* वर्ष 2017–18 से योजना और गैर–योजना अनुदानों के नामकरण को हटा दिया गया था इसलिए इसका कोई आँकड़ा नहीं हैं। इसकी जगह सी.एस.एस. के लिए अनुदान, वित्त आयोग अनुदान, और राज्यों को अन्य अनुदानों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था।

भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान 2015–16 में ₹ 19,565.60 करोड़ से बढ़कर 2019–20 में ₹ 26,968.62 करोड़ हो गया है। वृद्धि मुख्य रूप से जी.एस.टी. क्षतिपूर्ति (37.10 प्रतिशत) और वित्त आयोग अनुदान (53.79 प्रतिशत) के तहत जारी अनुदान के कारण दिखाई गई। 2019–20 के दौरान, बिहार सरकार को केंद्र प्रायोजित योजनाओं (वित्त लेखे 2019–20 का परिशिष्ट–V) के कार्यान्वयन के लिए ₹ 15,302.04 करोड़ प्राप्त हुए, जो पिछले वर्ष की तुलना में 6.25 प्रतिशत कम था। 2015–20 के दौरान भारत सरकार से कुल अनुदान की प्रवृत्ति राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में 18.70 प्रतिशत से 21.90 प्रतिशत के बीच रही। कुछ प्रमुख घटक समय पर शिक्षा के लिए अनुदान (प्राथमिक शिक्षा)– ₹ 2,524.96 करोड़ और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि (एनडीआरएफ) – ₹ 553.17 करोड़ जिसमें पिछले वर्ष आवंटन नहीं किया गया था। वित्त आयोग अनुदान के ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदान पिछले वर्ष से ₹ 1,475 करोड़ बढ़ गई। सहायता अनुदान का बड़ा हिस्सा अक्टूबर 2019 (₹ 8,756.40 करोड़) और मार्च 2020 (₹ 10,277.09 करोड़) में प्राप्त हुआ है। शेष महीनों में, नाममात्र की राशि प्राप्त हुई है।

2.3.3 पूँजीगत प्राप्तियाँ

पूँजीगत प्राप्तियों में विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ शामिल होते हैं जैसे विनिवेश से प्राप्त आय, ऋण एवं अग्रिम की वसूली, आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियाँ (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थानों / वाणिज्यिक बैंकों से उधार) और भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम।

तालिका 2.10: पूँजीगत प्राप्तियों की वृद्धि और संरचना की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

राज्य की प्राप्तियों के स्रोत	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
पूँजीगत प्राप्तियाँ	18,402	21,600	13,191	20,493	29,175
ऋणों और अग्रिमों की वसूली	19	23	22	1,825	30
लोक ऋण प्राप्तियाँ	**18,383**	**21,577**	**13,169**	**18,668**	**29,145**
आंतरिक ऋण	*17,565*	*20,065*	11,771	16,134	27,866
वृद्धि दर	*33.08*	*14.23*	*(-)41.34*	*37.07*	72.72
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	*818*	*1,512*	1,398	2,534	1,279
वृद्धि दर	*14*	*85*	*(-) 8*	*81*	(-) 50
ऋण की वृद्धि दर पूँजीगत प्राप्तियाँ	32	17	(-) 39	42	56
गैर–ऋण पूँजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर	(-) 99	21	(-) 4	8,195	(-) 98
जी.एस.डी.पी. की वृद्धि दर	8.35	13.31	11.33	13.15	15.36
पूँजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	19	17	(-) 39	55	42

(स्रोतः वित्त लेखा और जी.एस.डी.पी. के लिए– एम.ओ.एस.पी.आई. प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 31.07.2020)

पूँजीगत प्राप्तियों में वृद्धि मुख्यतः आंतरिक ऋण में पिछले वर्ष से 72.72 प्रतिशत वृद्धि के कारण हुई। पूँजीगत प्राप्तियों में लोक ऋण प्राप्तियों का 99.89 प्रतिशत भाग था। पिछले वर्ष की तुलना में ऋण पूँजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर बढ़ती रही है। यह मुख्यतः वर्ष के दौरान राजस्व घाटे में वृद्धि के कारण हुई।

मौजूदा वर्ष में पूँजीगत प्राप्तियाँ (₹ 29,175 करोड़) वर्ष 2018–19 से ₹ 8,682 करोड़ (42.36 प्रतिशत) से बढ़ गई। यह मुख्यतः बाजार ऋण के 107.02 प्रतिशत से वृद्धि के कारण हई। मौजूदा वर्ष में, ₹ 22,572.54 करोड़ उधारी के रूप में लिया गया (जैसा कि **कंडिका 2.6.1** में वर्णित है)। इसका योगदान पूँजीगत प्राप्तियों में 2018–19 में 53.20 प्रतिशत से बढ़कर 77.36 प्रतिशत हो गया। भारत सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम 49.52 प्रतिशत से घट गया।

मौजूदा वर्ष में निवल लोक ऋण प्राप्तियाँ जी.एस.डी.पी. के सापेक्ष (3.60 प्रतिशत) पिछले वर्ष की तुलना में (2.15 प्रतिशत) ज्यादा रहा। यह निवल उधारी वर्ष 2018–19 में ₹ 10,903.07 करोड़ (22.39 प्रतिशत) से बढ़कर ₹ 11,669.47 करोड़ (107.02 प्रतिशत) के कारण हुई।

गैर–ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ ऋण एवं अग्रिमों के रूप में कमी पी.एस.ई./इकाई/ऑथोरिटी के ऋण वसूली के पुस्त समायोजन का पिछले वर्ष की तुलना में कमी के कारण हुई।

यद्यपि पूँजीगत प्राप्तियाँ में पिछले वर्ष के 42.36 प्रतिशत से बढ़ गया और पूँजीगत व्यय 41.57 प्रतिशत से घट गया।

2.3.4 संसाधनों के संग्रहण में राज्य का प्रदर्शन

संसाधनों के संग्रहण में राज्य के प्रदर्शन का आकलन इनके स्वयं अपने संसाधनों के संदर्भ में, जिसमें स्वयं के कर और करेत्तर स्रोत शामिल होते हैं, किया जाता है।

राज्य के अपने संसाधन (कर और करेत्तर राजस्व) 2018–19 में ₹ 33,539 करोड़ से थोड़ा बढ़कर 2019–20 में ₹ 33,858 करोड़ हो गए हैं। राज्य के कर राजस्व और करेत्तर राजस्व बजट अनुमानों की तुलना **तालिका 2.11** में दिखाए गए हैं।

तलिका 2.11: कर और करेत्तर प्राप्तियों के बजट अनुमानों की तुलना

(₹ करोड़ में)

	वित्त आयोग अनुमान	बजट प्राक्. कलन	वास्तविकी	वास्तविकी प्रतिशतता भिन्नता	
				बजट प्राक्कलन से	वित्त आयोग अनुमान से
कर राजस्व	68,956	33,800	30,158	(-)10.78	(-)56.26
करेत्तर राजस्व	4,015	4,806	3,700	(-)23.01	(-)7.85

(स्रोतः वित्त लेखा 2019–20, वित्त आयोग की रिपोर्ट और बिहार सरकार के बजट अनुमान)

इस प्रकार, यह देखा जा सकता है कि राज्य का स्व कर राजस्व, साथ ही करेत्तर राजस्व, राज्य के बजट प्राक्कलन और वित्त आयोग के अनुमानों से भी कम था।

2.4 संसाधनों का अनुप्रयोग

राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि राजकोषीय उत्तरदायित्व कानून के ढाँचे के भीतर व्यय करें साथ ही यह सुनिश्चित करते हुए कि राज्य में चल रही वित्तीय सुधार और समेकन प्रक्रिया, पूँजीगत बुनियादी ढाँचा तथा सामाजिक क्षेत्र के विकास के लिए निर्देशित व्यय की कीमत पर न हो।

2.4.1 व्यय के घटक एवं वृद्धि

समग्र व्यय और उसके घटकों का जी.एस.डी.पी. से प्रतिशत के साथ प्रवृत्ति विश्लेषण **तालिका 2.12** में दर्शाया गया है।

तलिका 2.12: कुल व्यय एवं इनके घटक

(₹ करोड़ में)

मापदंडों	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
कुल व्यय (टी.ई.)	1,08,203	1,22,087	1,31,774	1,47,425	1,38,987[6]
राजस्व व्यय (आर.ई.)	83,616	94,765	1,02,624	1,24,897	1,26,017
पूँजीगत व्यय (सी.ई.)	23,966	27,208	28,907	21,058	12,304
ऋण एवं अग्रिम	621	114	243	1,470	666
जी.एस.डी.पी. के प्रतिशतता के रूप में					
टी.ई./जी.एस.डी.पी.	29.12	29.00	28.11	27.80	22.72
आर.ई/जी.एस.डी.पी.	22.50	22.51	21.89	23.55	20.60
सी.ई./जी.एस.डी.पी.	6.45	6.46	6.17	3.97	2.01
ऋण एवं अग्रिम/जी.एस.डी.पी.	0.17	0.03	0.05	0.28	0.11

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2018–19 से 2019–20 के दौरान राज्य के पूँजीगत व्यय में ₹ 8,754 करोड़ (41.57 प्रतिशत) की कमी आई है, यह दर्शाता है कि राज्य ने पूँजीगत संपत्ति के निर्माण पर कम खर्च किया है। कुल व्यय का लगभग 89 प्रतिशत, राजस्व प्राप्तियों से पूरा किया गया। पिछले पाँच वर्षों में जी.एस.डी.पी. के प्रतिशत के सापेक्ष कुल राजस्व और पूँजीगत व्यय क्रमशः 20.60 प्रतिशत और 2.01 प्रतिशत बहुत कम था। 2018–19 से 2019–20 के दौरान, कुल व्यय का सी.ए.जी.आर. (–2.59 प्रतिशत) सामान्य श्रेणी राज्य (4.09 प्रतिशत) की वृद्धि दर से कम था और पड़ोसी राज्यों उड़ीसा (9.83 प्रतिशत) और झारखंड (5.85 प्रतिशत) से भी कम था।

आर्थिक वर्गीकरण के संदर्भ में व्यय की संरचना में परिवर्तन और गतिविधियों द्वारा व्यय को **तालिका 2.13** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.13: व्यय के विभिन्न क्षेत्रों के सापेक्ष हिस्सेदारी

(₹ करोड़ में)

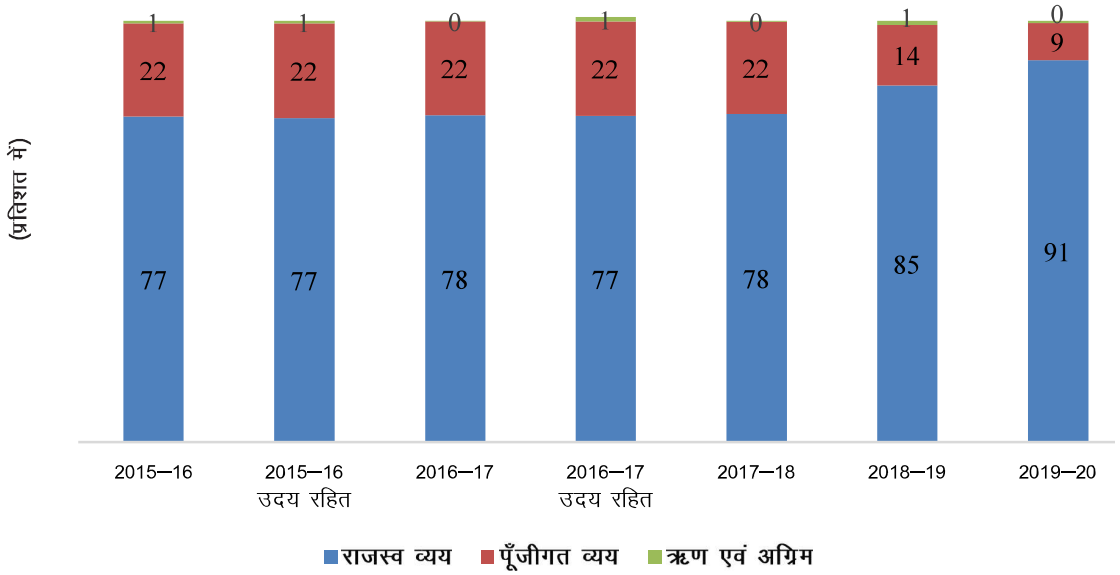
मापदंडों	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
सामान्य सेवाएँ	31,589 (29.19)	32,697 (26.78)	36,139 (27.43)	42,002 (28.49)	44,016 (31.67)
सामाजिक सेवाएँ	38,683 (35.75)	44,329 (36.31)	50,028 (37.97)	62,345 (42.29)	60,619 (43.61)
आर्थिक सेवाएँ	37,306 (34.48)	44,943 (36.81)	45,360 (34.42)	41,604 (28.22)	33,684 (24.24)
अन्य (स्थानीय निकायों को अनुदान और ऋण एवं अग्रिम)	625 (0.58)	118 (0.10)	247 (0.19)	1,474 (1)	668 (0.48)
(कोष्ठकों में आँकड़े कुल व्यय का प्रतिशत दर्शाते हैं)					

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

[6] एनटीए के पैरा 4 (XXV) में बताए गए के अनुसार उचंत लेखे में रखे गए ₹ 7,149.67 करोड़ के व्यय को शामिल नहीं करता है।

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि 2019–20 के दौरान राज्य सरकार ने आर्थिक सेवाओं के सापेक्ष सामान्य सेवाओं पर अधिक राशि खर्च की है जबकि कुल व्यय के गतिविधि घटकों में सामाजिक सेवाओं में मामूली भिन्नता देखी गई है। सामान्य सेवाओं के तहत पिछले वर्ष की तुलना में चुनाव (₹ 491.96 करोड़), ब्याज भुगतान (₹ 920.27 करोड़) और पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों (₹ 1,082. 62 करोड़) के व्यय में बड़ी वृद्धि देखी गई। यह दर्शाता है कि राज्य सरकार पिछले वर्ष की तुलना में विकासात्मक व्यय पर कम खर्च कर रही है। इसके अलावा, आर्थिक सेवाओं पर राज्य ने पिछले पाँच वर्षों में सबसे कम राशि खर्च की है। ये प्रमुख घटक, जहां पिछले वर्षों की तुलना में कम व्यय किए गए थे। सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण (35.95 प्रतिशत), बिजली (13.69 प्रतिशत), गैर लौह खनन और धातुकर्म उद्योग (19.57 प्रतिशत) और पर्यटन (76.06 प्रतिशत) आदि। **चार्ट 2.7** वर्ष 2015–20 के दौरान कुल व्यय के घटकों के अंश की प्रवृत्ति दर्शाता है।

चार्ट 2.7: कुल व्यय : इसके घटकों के हिस्से की प्रवृत्ति



(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

चार्ट 2.7 का तात्पर्य है कि राज्य के कुल व्यय का लगभग 9 प्रतिशत पूँजी निर्माण के लिए हुआ है और शेष 91 प्रतिशत व्यय दिन–प्रतिदिन के व्यय अर्थात राजस्व व्यय में किया गया है। इसके अलावा, राज्य द्वारा लिए गए विद्युत वितरण कंपनियों के ऋण का राज्य के ऋण रूपरेखा पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ा। 2015–16 में, राज्य ऋण का केवल एक प्रतिशत बढ़ा और 2016–17 में यह प्रतिशत–वार नहीं बदला। राज्य द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम नगण्य हैं।

2.4.2 राजस्व व्यय

सेवाओं के वर्तमान स्तर और पिछले दायित्व के भुगतान के लिए राजस्व व्यय किया जाता है। इस प्रकार, इससे राज्य के बुनियादी ढाँचे और सेवा नेटवर्क में कोई वृद्धि नहीं होती है। राजस्व व्यय की वृद्धि की प्रवृत्ति का विश्लेषण **तालिका 2.14** में दर्शाया गया है।

तलिका 2.14: राजस्व व्यय–मूलभूत मापदंड

(₹ करोड़ में)

मापदंडों	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
कुल व्यय (टी.ई.)	1,08,203	1,22,087	1,31,774	1,47,425	1,38,987
राजस्व व्यय (आर.ई.)	83,616	94,765	1,02,624	1,24,897	1,26,017
आर.ई. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	15.22	13.33	8.29	21.70	0.90
टी.ई. की प्रतिशतता के रूप में राजस्व व्यय	77.28	77.62	77.88	84.72	90.67
आर.ई./जी.एस.डी.पी. (प्रतिशत)	22.5	22.51	21.89	23.55	20.60
आर.आर. की प्रतिशतता के रूप में, आर.ई.	86.99	89.75	87.38	94.77	101.44
आर.ई. की उत्प्लावकता, के साथ					
जी.एस.डी.पी. (अनुपात)	1.82	1.00	0.73	1.65	0.06
राजस्व प्राप्तियाँ (अनुपात)	0.67	1.35	0.74	1.78	(-)0.16

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

राजस्व व्यय कुल व्यय का 90.67 प्रतिशत था और सिर्फ 8.85 प्रतिशत पूँजीगत व्यय के लिए बचा। राज्य में राजस्व घाटा हुआ है क्योंकि 2008–09 से अब तक पहली बार इस वर्ष के दौरान राजस्व व्यय राजस्व प्राप्तियों से अधिक है। इसके अलावा, राजस्व प्राप्तियों में 5.74 प्रतिशत की कमी आई जबकि राजस्व व्यय में 0.90 प्रतिशत की वृद्धि हुई। परिणामतः अंतर को राज्यों के लोक ऋण से पूरा किया गया है। राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में राजस्व व्यय 2017–18 को छोड़कर पिछले पाँच वर्षों से बढ़ रहा है। राजस्व प्राप्तियों के साथ–साथ जी.एस.डी.पी. की राजस्व व्यय की उत्पलावकता के साथ अनुपात पिछले पाँच वर्षों में सबसे कम है जो राज्य के वित्त का अच्छा संकेत नहीं है।

2.4.2.1 राजस्व व्यय में प्रमुख परिवर्तन

चालू वर्ष और पिछले वर्ष के दौरान राज्य के राजस्व व्यय के संबंध में विभिन्न लेखा शीर्षों के अंतर्गत महत्वपूर्ण भिन्नताएं **तालिका 2.15** में दी गई हैं।

तालिका 2.15: 2018–19 की तुलना में 2019–20 के दौरान राजस्व व्यय में भिन्नता

(₹ करोड़ में)

लेखा के प्रमुख शीर्ष	2018-19	2019-20	वृद्धि (+)/ कमी (-)
2245- प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत	1,607.14	3,592.41	1,985.27
2071- पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	16,027.75	17,110.38	1,082.63
2235- सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	5,127.47	6,050.00	922.53
2049- ब्याज भुगतान	10,071.14	10,991.42	920.28
2210- चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	5,427.11	6,117.98	690.87
3054- सड़कें और पुल	1,696.02	2,293.99	597.97
2015- चुनाव	122.51	614.47	491.96
2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	768.64	1,141.86	373.22
2515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	9,416.39	9,774.24	357.85
2406- वानिकी और वन्य जीवन	314.77	619.15	304.38
2215- जल आपूर्ति और स्वच्छता	5,387.28	2,071.76	(-)3,315.52
2801- विद्युत	6,909.68	5,950.24	(-)959.44
3055- सड़क परिवहन	1,095.51	189.64	(-)905.87

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

तालिका 2.15 इंगित करता है कि प्राकृतिक आपदाओं के राहत बचाव कार्य में वृद्धि (विशेषकर निःशुल्क राहत में) और पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों (परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना में सरकारी अंशदान

के तहत) राज्य के राजस्व व्यय में वृद्धि के कारणों में से एक थी। जलापूर्ति एवं स्वच्छता अंतर्गत अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना में कम व्यय हुआ। बजट प्राक्कलनों की संवीक्षा से पता चला कि वर्ष के दौरान ₹ 5,967.18 करोड़ के पर्याप्त बजट प्रावधान होने के बावजूद जलापूर्ति और स्वच्छता पर राजस्व व्यय कम (केवल 35 प्रतिशत) हुआ है। सड़क परिवहन पर, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के सहायता (₹ 1,016.14 करोड़) का मुख्य भाग था, यद्यपि 2018–19 में व्यय बजट प्रावधान (₹ 1,175.00 करोड़) का 93 प्रतिशत था। वर्तमान वर्ष के लिए पिछले वर्ष के बजट का केवल 28 प्रतिशत (₹ 329.00 करोड़) प्रावधान किया गया था, जिसमें से विभाग केवल 58 प्रतिशत ही खर्च कर पाया। इसके अलावा, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पिछले वर्ष के बजट प्रावधान का 64 प्रतिशत खर्च किया गया है जबकि 2019–20 के दौरान इसके बजट प्रावधान के विरूद्ध 72 प्रतिशत खर्च किया गया।

2.4.2.2 प्रतिबद्ध व्यय

राजस्व लेखे पर राज्य सरकार के प्रतिबद्ध व्यय में ब्याज भुगतान, वेतन एवं मजदूरी और पेंशन पर खर्च शामिल हैं। सरकारी संसाधनों पर इसका पहला प्रभार है। प्रतिबद्ध व्यय पर ऊर्ध्वमुखी प्रवृत्ति सरकार को विकास क्षेत्र के लिए कम लचीलेपन देता है। प्रतिबद्ध व्यय का प्रवृत्ति विश्लेषण **तालिका 2.16** में दर्शाया गया है।

तलिका 2.16: प्रतिबद्ध व्यय के घटक

(₹ करोड़ में)

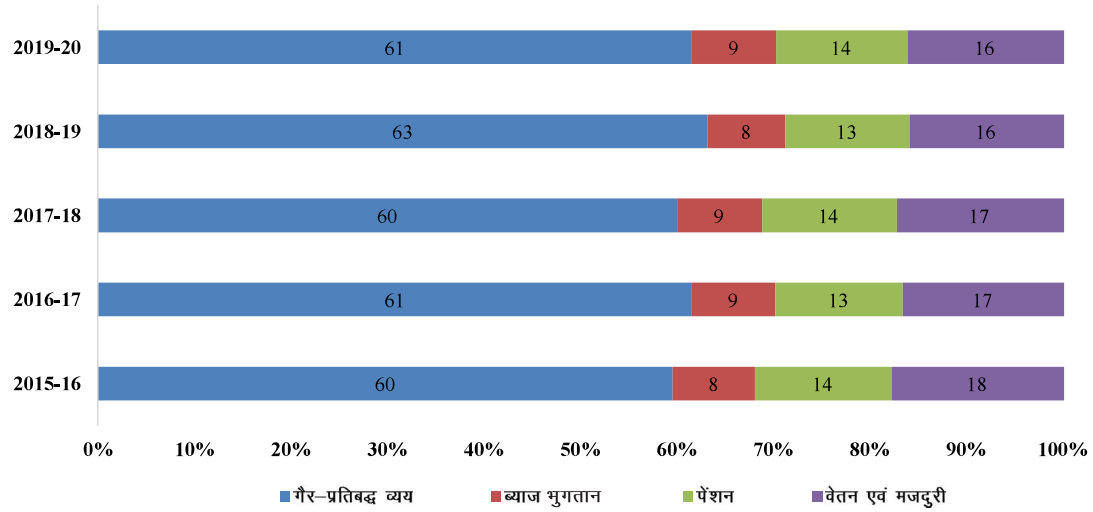
प्रतिबद्ध व्यय के घटक	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
वेतन एवं मजदूरी[7]	14,923.73	15,784.04	17,778.74	19,968.39	20,418.41
पेंशन पर व्यय	11,830.46	12,514.52	14,293.48	16,027.75	17,110.38
ब्याज भुगतान	7,097.69	8,190.70	9,053.78	10,071.14	10,991.42
कुल	**33,851.88**	**36,489.26**	**41,126.00**	**46,067.28**	**48,520.21**
राजस्व प्राप्तियों (आर.आर.) के प्रतिशतता के रूप में					
वेतन एवं मजदूरी	15.53	14.95	15.14	15.15	16.44
पेंशन पर व्यय	12.31	11.85	12.17	12.16	13.77
ब्याज भुगतान	7.38	7.76	7.71	7.64	8.85
कुल	**35.22**	**34.56**	**35.02**	**34.95**	**39.06**
राजस्व व्यय (आर.ई.) के प्रतिशतता के रूप में					
वेतन एवं मजदूरी	17.85	16.66	17.32	15.99	16.20
पेंशन पर व्यय	14.15	13.21	13.93	12.83	13.58
ब्याज भुगतान	8.49	8.64	8.82	8.06	8.72
कुल	**40.49**	**38.51**	**40.07**	**36.88**	**38.50**

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

कुल राजस्व व्यय में प्रतिबद्ध व्यय का प्रवृत्ति विश्लेषण **चार्ट 2.8** में दर्शाया गया है।

[7] सहायता अनुदान (वेतन) पर व्यय, जो सरकारी कर्मचारियों से अलग अनुदानग्राही निकायों (जैसे सहायता प्राप्त स्कूल और कॉलेज) के कर्मचारियों के वेतन को दर्शाता है, को भी अलग से दिखाया जा सकता है।

चार्ट 2.8: कुल राजस्व व्यय में प्रतिबद्ध व्यय का अंश



(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

इस वर्ष के दौरान, कुल प्रतिबद्ध व्यय ₹ 48,520.22 करोड़ था और यह कुल राजस्व व्यय का 38.50 प्रतिशत और राजस्व प्राप्तियों का 39.06 प्रतिशत था। इसमें वेतन पर खर्च (16.44 प्रतिशत), पेंशन (13.77 प्रतिशत) और ब्याज भुगतान (8.85 प्रतिशत) राजस्व प्राप्तियों में शामिल है। प्रतिबद्ध व्यय मदों के लिए आवंटित बजट का एक बड़ा हिस्सा, अन्य व्यय प्राथमिकताओं जैसे पूँजीगत परिव्यय आदि को तय करने के लिए राज्य के लचीलेपन को सीमित करता है।

2.4.2.3 राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में अमुक्त देयताऐं

1 सितंबर 2005 को या उसके बाद भर्ती किए गए राज्य सरकार के कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एन.पी.एस.) के अंतर्गत आते हैं, जो एक परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना है। इस योजना के तहत कर्मचारी अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10 प्रतिशत योगदान करता है और उतना ही योगदान राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। राज्य सरकार ने जुलाई 2019 से अपने योगदान को बढ़ाकर 14 प्रतिशत कर दिया है। पूरी राशि (कर्मचारियों का योगदान और नियोक्ता का योगदान) को नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एन.एस.डी.एल.)/ट्रस्टी बैंक के माध्यम से नामित फंड मैनेजर को हस्तांतरित किया जाता है।

वर्ष 2019–20 के दौरान कर्मचारियों का योगदान ₹ 688.65 करोड़ और सरकार का ₹ 910.77 करोड़ का अंशदान एनपीएस में करना था। वर्ष के दौरान, ₹ 1,505.23 करोड़ (कर्मचारियों का योगदान ₹ 688.65 करोड़ और नियोक्ता का योगदान ₹ 816.58 करोड़) की राशि को लोक लेखा के तहत मुख्य शीर्ष–8342–117 और ₹ 0.01 करोड़ को मुख्य शीर्ष 8011–106 में हस्तांतरित किया गया। ₹ 1,505.24 करोड़ (₹ 1,505.23 करोड़ + ₹ 0.01 करोड़) की संपूर्ण राशि एन.एस.डी.एल. को जमा करना था। इस वर्ष के दौरान, सरकार द्वारा ₹ 94.19 करोड का कम योगदान किया गया, (₹ 910.77 करोड़ घटाव ₹ 816.58 करोड़) जिसके परिणामस्वरूप राजस्व घाटे को उस सीमा तक कम बताया गया है।

राज्य सरकार ने वर्ष के दौरान एन.एस.डी.एल./ट्रस्टी बैंक में ₹ 1,302.58 करोड़ जमा किए। 31 मार्च 2020 तक, ₹ 390.97 करोड़ (मुख्य शीर्ष–8342–117 के तहत ₹ 349.85 करोड़ और मुख्य शीर्ष–8011–106 के तहत ₹ 41.12 करोड़) लोक लेखे में अंतिम शेष के रूप में पड़ा था जिसे

एन.एस.डी.एल./ट्रस्टी बैंक में जमा किया जाना बाकी है। इसमें, पहले के वर्षों के ₹ 188.32 करोड़ और वित्तीय वर्ष 2019–20 के ₹ 202.65 करोड़ शामिल हैं।

वर्ष 2018–19 के दौरान, लेखे में ₹ 188.32 करोड़ की राशि अंतिम शेष के रूप में छोड़ी गई जिसे एन.एस.डी.एल./ट्रस्टी बैंक को हस्तांतरित नहीं किया गया। राज्य सरकार को ₹ 188.32 करोड़ के अंतिम शेष पर ₹ 15.06 करोड़ के ब्याज का भुगतान करना था। तथापि, राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2019–20 के दौरान किसी भी ब्याज का भुगतान नहीं किया गया। ₹ 15.06 करोड़ के ब्याज का भुगतान न करने और एन.पी.एस. में सरकार द्वारा ₹ 94.19 करोड़ के कम योगदान के परिणामस्वरूप राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा ₹ 109.25 करोड़ (₹ 15.06 करोड़ + ₹ 94.19 करोड़) कम बताया गया है।

2.4.2.4 सब्सिडी

किसी भी कल्याणकारी राज्य में, समाज के वंचित वर्गों को सब्सिडी/राजकीय सहायता प्रदान करना आम बात है। सब्सिडी न केवल स्पष्ट रूप से बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को सब्सिडी वाली सार्वजनिक सेवाएँ प्रदान करके दी जाती है। वित्तीय संस्थानों को बजटीय सहायता, निवेश पर अपर्याप्त प्रतिफल और सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सामाजिक और आर्थिक सेवाओं से उपयोगकर्ता शुल्क की खराब वसूली निहित सब्सिडी की श्रेणी में आती है।

वर्तमान वर्ष के दौरान कुल सब्सिडी ₹ 7,121.27 करोड़ थी जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 14.45 प्रतिशत कम है और राजस्व प्राप्तियों का 5.73 प्रतिशत है। सब्सिडी पर व्यय की प्रवृत्ति का विश्लेषण **तालिका 2.17** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.17: 2015–20 के दौरान सब्सिडी पर व्यय

विवरणी	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
सब्सिडी (₹ करोड़ में)	9,010.45	8,757.44	5,023.06	8,323.97	7,121.27
राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशतता के रूप में सब्सिडी	9.37	8.29	4.27	6.32	5.73
राजस्व व्यय के प्रतिशतता के रूप में सब्सिडी	10.78	9.24	4.89	6.66	5.65

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

राज्य सरकार द्वारा परिवहन विभाग को ₹ 785.60 करोड़ से और ऊर्जा विभाग को ₹ 544.03 करोड़ से कम सब्सिडी देने के कारण, पिछले वर्ष की तुलना में कुल सब्सिडी में ₹ 1,202.70 करोड़ की कमी आई है।

2.4.2.5 राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों और अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता

पिछले वर्षों की तुलना में मौजूदा वर्ष के दौरान स्थानीय निकायों और अन्य को अनुदान और ऋण के रूप में प्रदान की गई सहायता की मात्रा **तालिका 2.18** में प्रस्तुत की गई है।

तालिका 2.18: स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता

(₹ करोड़ में)

संस्थानों को वित्तीय सहायता	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
(अ) स्थानीय निकाय					
नगर निगम और नगर पालिकाएँ	1,826.28	3,135.50	1,794.52	2,892.56	1,533.24
पंचायती राज संस्थान	3,178.20	2,659.04	7,572.94	7,517.61	9,971.64
कुल (अ)	**5,004.48**	**5,794.54**	**9,367.46**	**10,410.17**	**11,504.88**

संस्थानों को वित्तीय सहायता	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
(ब) अन्य					
शैक्षिक संस्थान (सहायता प्राप्त स्कूल, सहायता प्राप्त कॉलेज, विश्वविद्यालय, आदि)	2,924.50	3,101.99	4,683.27	1,905.37	3,925.89
विकास प्राधिकरण	5,356.39	11,645.91	1,786.76	5,860.77	5,839.49
अस्पताल और अन्य धर्मार्थ संस्थान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अन्य संस्थान[8]	13,140.84	15,666.90	27,521.24	33,587.98	25,311.28
कुल (ब)	**21,421.73**	**30,414.80**	**33,991.27**	**41,354.12**	**35,076.66**
कुल (अ+ब)	**26,426.21**	**36,209.34**	**43,358.73**	**51,764.29**	**46,581.54**
राजस्व व्यय	83,615.94	94,765.18	1,02,623.73	1,24,896.81	1,26,016.66
राजस्व व्यय के प्रतिशतता के रूप में सहायता	31.60	38.21	42.25	41.45	36.96

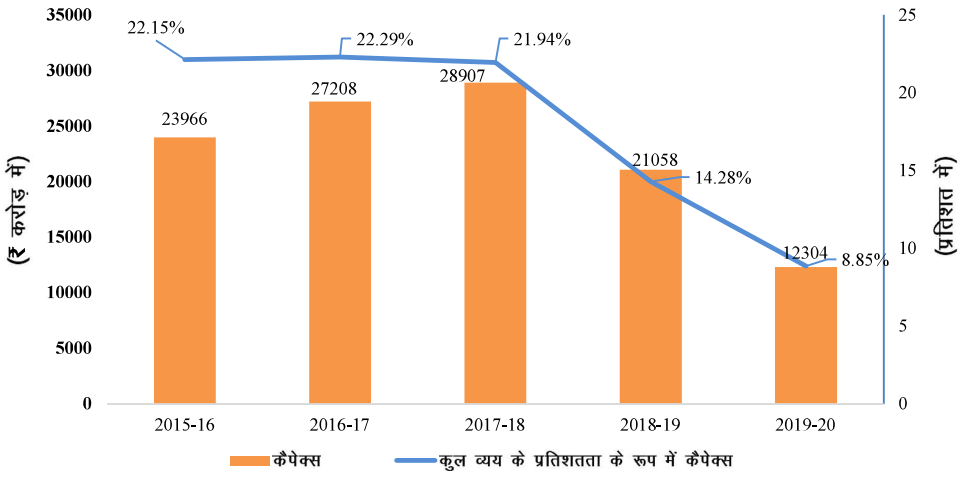
(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को राज्य सरकार द्वारा प्राप्त वित्तीय सहयोग मौजूदा वर्ष में ₹ 5,182.75 करोड़ से घट गई और राजस्व व्यय की प्रतिशतता से 36.96 प्रतिशत घट गई। ससमय लेखा प्रस्तुत किए बिना वित्तीय सहायता जारी रखना सार्वजनिक जवाबदेही के लिए हानिकारक एवं खराब वित्तीय प्रबंधन को दर्शाता है (कंडिका 4.15 में विस्तृत)।

2.4.3 पूँजीगत व्यय

पूँजीगत व्यय (कैपेक्स) मुख्य रूप से सड़कों, भवनों आदि जैसे अचल बुनियादी ढाँचे की परिसंपत्तियों के निर्माण पर व्यय होता है। राज्य में कैपेक्स को बजटीय सहायता और अतिरिक्त बजटीय संसाधनों से पूरा किया जा रहा है। कैपेक्स का प्रवृत्ति विश्लेषण **चार्ट 2.9** में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.9: राज्य में पूँजीगत व्यय



(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

पूँजीगत व्यय राज्य सरकार द्वारा बजट अनुमानों में किए गए निर्धारण से 66.38 प्रतिशत कम था। राज्य ने पूँजी निर्माण पर केवल 8.85 प्रतिशत खर्च किया और अपने कुल व्यय का 91.15 प्रतिशत नियमित व्यय के लिए किया। विश्लेषण के दौरान, यह देखा गया कि पिछले वर्ष 2018–19 से सामान्य सेवा में पूँजीगत व्यय ₹ 3,311.32 करोड़ से घटकर ₹ 2,388.26 करोड़, समाज सेवा ₹ 4,061.21 करोड़ से

[8] अन्य संस्थानों में शामिल हैं– पी.एस.यू., स्वायत्त निकाय, सहकारी संस्थान

₹ 2,802.51 करोड़ हो गया और आर्थिक सेवाओं में बड़ी कमी ₹ 13,685.70 करोड़ से ₹ 7,113.13 करोड़ तक देखी गई। पूँजीगत व्यय का पूँजीगत प्राप्तियों से अनुपात पिछले तीन वर्षों के दौरान घटती प्रवृत्ति का था जो समग्र आर्थिक मंदी का प्रभाव था। यह राज्य के खराब संसाधन पूँजीकरण को दर्शाता है। इसके अलावा, पूँजीगत व्यय की राशि को केवल बही व्यय के रूप में माना जाता है क्योंकि इसका बड़ा हिस्सा राज्य के लोक लेखे में रखा गया है। विस्तृत विश्लेषण इस रिपोर्ट के **अध्याय** IV **के कंडिका 4.5** में शामिल किया गया है।

2.4.3.1 पूँजीगत व्यय में प्रमुख परिवर्तन

पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान राज्य के पूँजीगत व्यय के संबंध में विभिन्न प्रमुख लेखा शीर्षों के अंतर्गत महत्वपूर्ण अंतर **तालिका 2.19** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.19: 2018–19 की तुलना में 2019–20 के दौरान पूँजीगत व्यय

(₹ करोड़ में)

प्रमुख लेखा शीर्षों	2018-19	2019-20	वृद्धि (+)/ कमी (-)
4059- लोक निर्माण पर पूँजीगत परिव्यय	1,781.73	1,029.04	(-)752.69
4202- शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूँजी परिव्यय	1,056.22	197.68	(-)858.54
4210- चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय	1,145.71	862.34	(-)283.37
4515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय	960.40	1,590.73	630.34
4700- प्रमुख सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	636.98	379.92	(-)257.06
4711- बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	1,243.88	(-)39.10	(-)1,282.97
4801- विद्युत परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	5,035.36	3,067.32	(-)1,968.04
5053- नागरिक उड्डयन पर पूँजीगत परिव्यय	0.00	152.44	152.44
5054- सड़कों और पुलों पर पूँजीगत परिव्यय	5,263.69	1,202.05	(-)4,061.64
5075- अन्य परिवहन सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	3.00	160.00	157.00

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

पूँजीगत लेखे पर व्यय में कमी मुख्य रूप से सड़कों और पुलों के कार्यक्रमों पर पूँजीगत व्यय में ₹ 4,061.64[9] करोड़, बिजली परियोजनाओं में ₹ 1,968.04 करोड़ और बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं में ₹ 1,282.97 करोड़ की कमी के कारण आई। बजट अनुमानों की संवीक्षा से पता चला कि वर्ष के दौरान ₹ 2,212.77 करोड़ के पर्याप्त बजट प्रावधान होने के बावजूद बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय में नकारात्मक व्यय (वसूली) दिखा। इसके अलावा, सड़कों और पुलों पर पिछले वर्ष में बजट प्रावधान का 90 प्रतिशत से अधिक खर्च किया गया है जबकि 2019–20 के दौरान इसके बजट प्रावधान के विपरीत केवल 22 प्रतिशत खर्च किया गया था। विद्युत परियोजना में मुख्य घटक बैकवार्ड रूरल ग्राण्ट फंड (₹ 1,391.33 करोड़) का उपयोग नहीं हुआ।

2.4.3.2 पूँजीगत व्यय की गुणवत्ता

यदि राज्य सरकार घाटे में चल रही सरकारी कंपनियों में निवेश करती रहती है, जिनकी कुल संपत्ति पूरी तरह से समाप्त हो गई है, तो निवेश पर प्रतिफल की कोई संभावना नहीं है। इसी प्रकार अनुभव से पता चलता है कि घाटे में चल रहे निगमों और अन्य निकायों जैसे चीनी मिलों, वित्तीय निगमों आदि को दिए गए ऋणों को बट्टे खाते में डालने की अनिवार्यता है। ऐसे वित्तीय कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए आवश्यक कदम उठाने होंगे। यह खंड चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा किए गए निवेश और अन्य पूँजीगत व्यय का विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

[9] राज्य राजमार्ग के अंतर्गत– पुल– ₹ 367.96 करोड़, मुख्य सड़क– ₹ 412.48 करोड़, केंद्रीय सड़क निधि– ₹ 141.33 एवं सड़क– ₹ 379.22 अनुसूचित जाति के विशेष घटक मुख्य सड़क– ₹ 365.85 करोड़ शामिल।

कंपनियों, निगमों और अन्य निकायों में निवेशों की गुणवत्ता

कंपनियों, निगमों और अन्य निकायों में पूँजीगत व्यय, जो घाटे में चल रहे हैं या जहाँ निवल मूल्य पूरी तरह से समाप्त हो गया है, धारणीय नहीं है।

सार्वजनिक उपक्रम में निवेश की गई शेयर पूँजी में निवेश पर प्रतिफल और विभिन्न निकायों को दिए गए ऋणों के पुनर्भुगतान का इतिहास पूँजीगत व्यय की गुणवत्ता का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है। निवेश पर प्रतिफल के प्रवृत्ति का विश्लेषण **तालिका 2.20** में दिया गया है।

तालिका 2.20: निवेश पर प्रतिफल

(₹ करोड़ में)

निवेश/प्रतिफल/उधार की लागत	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
वर्ष के अंत में निवेश (₹ करोड़ में)	9,940.24	15,916.47	23,037.29	28,327.00	31,667.39
प्रतिफल (₹ करोड़ में)	14.84	3.73	1.34	11.34	1.62
प्रतिफल (प्रतिशत)	0.15	0.02	0.01	0.04	0.01
सरकारी उधार पर ब्याज की औसत दर (प्रतिशत)	6.58	6.42	6.13	6.18	6.07
ब्याज दर और प्रतिफल के बीच अंतर (प्रतिशत)	5.94	5.88	5.82	6.14	6.06
सरकारी उधार पर ब्याज और निवेश पर प्रतिफल के बीच अंतर # (₹ करोड़ में)	**590.45**	**935.89**	**1,340.77**	**1,739.28**	**1,919.04**

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)
वर्ष के अंत में निवेश

पिछले पाँच वर्षों में, राज्य सरकार को सरकार की उधार लागत और निवेश पर प्रतिफल के बीच अंतर के कारण विभिन्न संस्थाओं में निवेश के प्रतिफल पर ₹ 1,919.04 करोड़ की काल्पनिक हानि हुई है। यह देखा गया कि राज्य सरकार ने 2019–20 के दौरान घाटे में चल रहे एक सार्वजनिक उपक्रम को इक्विटी के रूप में ₹ 91.80 करोड़ की बजटीय सहायता प्रदान की थी। घाटे में चल रही कंपनियों में किए गए निवेश को **तालिका 2.21** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.21: घाटे में चल रही कंपनियों में किया गया निवेश

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	कंपनी/निगम	संचित हानि	वर्ष के दौरान किया गया निवेश	31 मार्च 2020 तक संचयी निवेश
1	बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम लिमिटेड	7.58	91.80	528.75

(स्रोतः वर्ष 2019–20 के वित्त लेखे)

इसके अलावा, वर्ष 2019–20 के दौरान ₹ 3,338.47 करोड़ जो वास्तव में चार सार्वजनिक उपक्रम में निवेश किया गया था, को पूँजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तदनुसार, इस वर्ष के दौरान प्रभावी पूँजीगत व्यय ₹ 8,965.43 करोड़ हो गया। निवेश के रूप में माने जाने वाले पूँजीगत व्यय को **तालिका 2.22** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.22: पूँजीगत व्यय माने गए निवेश

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	कंपनी/निगम	पूँजीगत व्यय का मुख्य शीर्ष	राशि
1	बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम लिमिटेड	5465	91.80
2	बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड	5465	19.35
3	बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड	4801	3,067.32
4	पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	5075	160.00
कुल			**3,338.47**

(स्रोतः वर्ष 2019–20 के वित्त लेखे)

राज्य सरकार ने 31 मार्च 2020 तक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए कोई लाभांश नीति नहीं बनाई है। वित्त लेखे के अनुसार, वर्ष के दौरान केवल एक कंपनी अर्थात बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड (₹ 1.05 करोड़) और दो सहकारी समितियों (₹ 0.57 करोड़) ने लाभांश का योगदान दिया है।

सहकारी समितियों, निगमों और कंपनियों में निवेश के अलावा, सरकार ने इनमें से कई संस्थानों और संगठनों को ऋण एवं अग्रिम भी प्रदान किए हैं। विवरण **तालिका 2.23** में दिया गया है।

तालिका 2.23: पाँच वर्षों के दौरान वितरित और वसूल किए गए ऋणों की मात्रा

(₹ करोड़ में)

वितरित और वसूल किए गए ऋणों की मात्रा	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
लंबित ऋणों का प्रारंभिक शेष	20,255.00	20,857.73	20,948.29	21,169.17	20,814.33
वर्ष के दौरान अग्रिम राशि	621.23	113.87	242.78	1470.56	666.30
वर्ष के दौरान वसूल की गई राशि	18.50	23.31	21.89	1825.40	30.40
बकाया ऋणों का अंतिम शेष	20,857.73	20,948.29	21,169.18	20,814.33	21,450.23
निवल योग	602.73	90.56	220.89	(-) 354.84	635.90
प्राप्त ब्याज	-	-	-	-	-
सरकार द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम पर ब्याज दर	**पता लगाने योग्य नहीं**				
सरकार की बकाया उधारियों पर चुकाई गई ब्याज दर	6.09	5.90	5.77	5.96	5.68
भुगतान की गई ब्याज दर और प्राप्त ब्याज के बीच अंतर (प्रतिशत)	**पता लगाने योग्य नहीं**				

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

वित्त लेखे के अनुसार, ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋणों पर प्राप्त ब्याज शून्य है। दस्तावेजों की जाँच से पता चला कि कई मामलों में सरकार द्वारा वसूले जाने वाले ब्याज की दर भी कर्जदार से तय नहीं की गई है। कुछ मामलों में, ऋण राशि के साथ ब्याज दर का खुलासा नहीं किया गया है। परिणामस्वरूप, लेखापरीक्षा के लिए सरकार द्वारा ऋणी से वसूले जाने वाले ब्याज की दर का निर्धारण करने योग्य नहीं है।

अपूर्ण परियोजनाओं में अवरूद्ध पूँजी

अपूर्ण पूँजीगत कार्यों में अवरुद्ध पूँजी की प्रवृत्तियों का आकलन भी पूँजीगत व्यय की गुणवत्ता को इंगित करेगा। अपूर्ण परियोजनाओं/कार्यों पर निधियों का अवरोधन व्यय की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव डालता है और राज्य को लंबे समय तक इच्छित लाभों से वंचित करता है। इसके अलावा, संबंधित वर्षों के दौरान इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए उधार ली गई धनराशि, ऋण और ब्याज देनदारियों की अदायगी के मामले में अतिरिक्त बोझ का कारण बनती है। अपूर्ण परियोजनाओं का विवरण **तालिका 2.24** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.24: अपूर्ण परियोजनाओं में अवरुद्ध पूँजी

तालिकाः 31 मार्च 2020 तक अपूर्ण परियोजनाओं की अवस्था रूपरेखा (₹ करोड़ में)				तालिकाः 31 मार्च 2020 के दौरान अपूर्ण परियोजनाओं की विभाग–वार रूपरेखा (₹ करोड़ में)			
वर्ष	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	अनुमानित लागत	व्यय (31 मार्च तक)	विभाग	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	स्था. लागत	व्यय
2011-12	380	3,395.35	1,579.46	जल संसाधन विभाग	43	803.03	254.93
2012-13	298	3,829.75	1,487.57	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	36	126.54	58.09

तालिकाः 31 मार्च 2020 तक अपूर्ण परियोजनाओं की अवस्था रूपरेखा (₹ करोड़ में)			
वर्ष	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	अनुमानित लागत	व्यय (31 मार्च तक)
2013-14	227	3,129.86	1,273.67
2014-15	211	3,404.88	1,300.78
2015-16	144	1,728.18	731.56
2016-17	130	2,269.08	1,521.31
2017-18	127	1,819.64	892.21
2018-19	68	790.99	315.11
2019-20	143	3,396.64	1,000.95

तालिकाः 31 मार्च 2020 के दौरान अपूर्ण परियोजनाओं की विभाग–वार रूपरेखा (₹ करोड़ में)			
विभाग	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	स्था. लागत	व्यय
भवन निर्माण विभाग	26	227.82	202.85
स्थानीय क्षेत्र इंजीनियरिंग संगठन	9	15.92	6.84
सड़क निर्माण विभाग	27	2,181.07	477.20
ग्रामीण कार्य	2	2.26	1.04
कुल	**143**	**3,396.64**	**1,000.95**

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

अनुमानित लागत के ₹ 3,396.64 करोड़ में से, केवल ₹ 1,000.95 करोड़ 2019–20 तक खर्च किए गए हैं और 143 परियोजनाओं में से, केवल आठ परियोजनाओं के लिए लागत संशोधित की गई थी। विवरण वित्त लेखा खंड–II के परिशिष्ट IX में प्रस्तुत किया गया है। चूँकि ₹ 3,195.82 करोड़ की अनुमानित लागत वाली शेष 135 परियोजनाओं का विवरण विभागों द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया, उनकी संशोधित लागत को वित्त लेखों में प्रदर्शित नहीं किया गया और इस प्रकार यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता था।

उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना का कार्यान्वयन (उदय)

विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार (जी.ओ.आई.) ने विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के वित्तीय बदलाव के लिए उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) शुरू (नवंबर 2015) की थी ।

राज्य डिस्कॉम की परिचालन और वित्तीय दक्षता में सुधार के उद्देश्य से, विद्युत मंत्रालय (भारत सरकार), संबंधित राज्य सरकार और राज्य बिजली वितरण कंपनियों के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) निष्पादित किया गया था। इस योजना ने राज्य सरकारों को दो वर्षों की अवधि में डिस्कॉम के बकाया ऋण का 75 प्रतिशत अपने अधिकार में करने की सुविधा प्रदान की।

डिस्कॉम का बकाया ऋण इक्विटी, ऋण एवं अनुदान/सब्सिडी के रूप में अधिग्रहण किया था। उदय के तहत डिस्कॉम को दिए गए ऋण को बाद के तीन वर्षों में अनुदान और इक्विटी में परिवर्तित किया जाना है। तदनुसार, राज्यों को ऋणों को इक्विटी और सब्सिडी में बदलना पड़ा।

इसके अलावा, राज्य सरकार को **तालिका 2.25** में उल्लिखित के अनुसार श्रेणीबद्ध तरीके से डिस्कॉम की हानियों, यदि कोई हो, का अधिग्रहण करना होगा।

तालिका 2.25: राज्य द्वारा हानि का अधिग्रहण

वर्ष	2015-16	2016-17
राज्य द्वारा वहन की जाने वाली हानि	2015–16 के हानि का 50%	2016–17 के हानि का 25%

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

योजना के तहत, राज्य को 30 सितंबर 2015 तक डिस्कॉम ऋण (₹ 3,109.05 करोड़) का 75 प्रतिशत ऋण लेने के लिए गैर–एस.एल.आर. बाँड जारी करना और अनुदान, ऋण एवं इक्विटी के रूप में

डिस्कॉम को प्राप्ति हस्तांतरित करना था। पैकेज के तहत राज्य सरकार की देनदारी ₹ 2,331.78 करोड़ **तालिका 2.26** में दर्शायी गयी है।

तालिका 2.26: उदय के अंतर्गत इक्विटी/ऋण/सब्सिडी की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	इक्विटी निवेश	ऋण	सब्सिडी	कुल
2015-16	-	-	1,369.89	1,369.89
2016-17	-	-	961.89	961.89
कुल			**2,331.78**	**2,331.78**

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

वर्ष 2019–20 के लिए डिस्कॉम के अनंतिम लेखों से पता चला कि दोनों डिस्कॉम के नियोजित पूँजी पर प्रतिफल नकारात्मक प्रतिफल दे रहा था जो (–) 39.55 प्रतिशत (एस.बी.पी.डी.सी.एल.) और (–) 13.42 प्रतिशत (एन.बी.पी.डी.सी.एल.) था। इसके अलावा, 31 मार्च 2020 तक, दोनों डिस्कॉम (एस.बी.पी.डी.सी.एल. ₹ 1,519.72 करोड़ और एन.बी.पी.डी.सी.एल. ₹ 1,481.27 करोड़) पर ₹ 3,000.99 करोड़ का ऋण बकाया था। राज्य सरकार ने उदय योजना के तहत जारी बॉंडों पर वर्ष 2019–20 में ₹ 191.36 करोड़ के ब्याज का भुगतान किया है।

राज्य सरकार द्वारा सभी टैरिफ सब्सिडी और ऋण दायित्वों को पूरा करने के बावजूद, डिस्कॉम को अभी भी परिचालन घाटा हो रहा है।

2.4.4 व्यय प्राथमिकताएँ

मानव विकास के स्तर को बढ़ाने के लिए राज्यों को शिक्षा, स्वास्थ्य, आदि जैसी प्रमुख सामाजिक सेवाओं पर अपने खर्च को बढ़ाने की आवश्यकता है। निम्न वित्तीय प्राथमिकता (एक श्रेणी के तहत व्यय का कुल व्यय के लिए अनुपात) एक विशेष क्षेत्र से जुड़ी है यदि आवंटन संबंधित राष्ट्रीय औसत से कम है। इन घटकों का कुल व्यय से जितना अधिक अनुपात होता है, व्यय की गुणवत्ता उतनी ही बेहतर मानी जाती है। स्वास्थ्य, शिक्षा और पूँजीगत व्यय के संबंध में राज्य की व्यय प्राथमिकता का विश्लेषण **तालिका 2.27** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.27: 2019–20 के दौरान स्वास्थ्य, शिक्षा और पूँजीगत व्यय के संबंध में राज्य की व्यय प्राथमिकता

(प्रतिशत में)

	ए.ई./जी.एस.डी.पी.	सी.ई./ए.ई.	शिक्षा/ए.ई.	स्वास्थ्य/ए.ई.
अखिल भारतीय औसत/सामान्य श्रेणी के राज्यों का औसत (2014–15)	15.99	13.98	16.54	4.92
राज्य	26.56	19.93	18.15	3.96
अखिल भारतीय औसत/सामान्य श्रेणी के राज्यों का औसत (2019–20)	15.15	12.97	15.91	5.21
राज्य	23.47	13.52	18.77	5.34

(स्रोतः एम.ओ.एस.पी.आई. एवं वित्त लेखे)

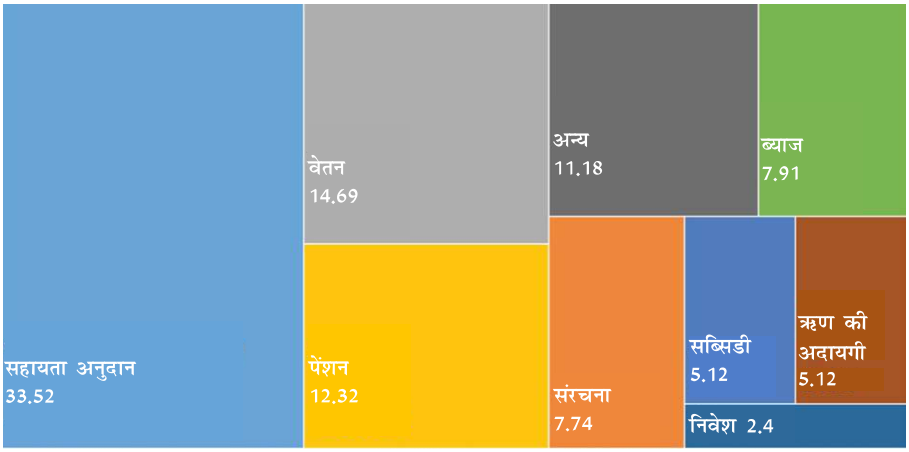
2019–20 के दौरान स्वास्थ्य, शिक्षा और पूँजीगत व्यय के संबंध में राज्य की व्यय प्राथमिकता अखिल भारतीय औसत (सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत) से बेहतर थी, जो राज्य के क्षमता निर्माण के लिए एक अच्छा संकेत है।

2.4.5 विषय शीर्षवार व्यय

विषय शीर्षवार व्यय नीचे **चार्ट 2.10** में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.10: विषय शीर्षवार व्यय

(प्रतिशत में)



(स्रोतः भी.एल.सी. प्रणाली)

उपरोक्त **चार्ट 2.10** से, यह देखा जा सकता है कि बजट के एक बड़े हिस्सा का आवंटन प्रतिबद्ध व्यय मदों[10] (40 प्रतिशत) के लिए किये जाने से निवेश, निर्माण आदि जैसी अन्य विकासात्मक व्यय प्राथमिकताओं को बढ़ाने के लिए लचीलेपन को सीमित करता है। इसके अलावा, वेतन पर व्यय पिछले वर्ष की तुलना में 2.25 प्रतिशत से अधिक, जी.एस.डी.पी. का 3.34 प्रतिशत और राजस्व व्यय का 16.20 प्रतिशत था। पेंशन पर व्यय पिछले वर्ष की तुलना में 6.75 प्रतिशत, जी.एस.डी.पी. का 2.80 प्रतिशत और राजस्व व्यय का 13.59 प्रतिशत अधिक था। इससे पता चलता है कि प्रमुख घटक प्रतिबद्ध व्यय साल दर साल बढ़ रहा हैं। 2019–20 के दौरान, प्रतिबद्ध देनदारियों पर व्यय 34.9 प्रतिशत था जबकि पूँजीगत व्यय कुल व्यय का केवल 8.85 प्रतिशत था जो राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य के लिए अच्छा संकेत नहीं है।

2.5 लोक लेखा

प्राप्तियाँ और संवितरण के कुछ लेन–देन जैसे कि लघु बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधि, जमा, उचंत, प्रेषण, आदि जो समेकित निधि का हिस्सा नहीं हैं, को संविधान के अनुच्छेद 266(2) के तहत स्थापित लोक लेखा में रखा जाता है और ये राज्य विधानमंडल द्वारा मतदान के अधीन नहीं हैं। सरकार इनके संबंध में एक बैंकर की तरह काम करती है। वर्ष के दौरान, संवितरण के बाद शेष निधि सरकार के पास विभिन्न प्रयोजनों के लिए उपयोग के लिए उपलब्ध होती है।

2.5.1 निवल लोक लेखा शेष

राज्य के लोक लेखा में घटक–वार निवल शेष **तालिका 2.28** में दिया गया है।

तालिका 2.28: 31 मार्च 2020 तक लोक लेखे में घटक–वार निवल शेष

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र	उप क्षेत्र	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
आइ. लघु बचत, भविष्य निधि, आदि।	लघु बचत, भविष्य निधि, आदि।	(-)73.58	99.63	(-)80.24	277.79	190.40
जे. आरक्षित निधि	(अ) ब्याज वाले आरक्षित निधि	(-)401.15	(-)712.03	(-)696.39	0.01	522.95
	(ब) बिना ब्याज वाले आरक्षित निधि	0	0	0	0	0

[10] वेतन, पेंशन, ब्याज भुगतान, ऋण की अदायगी

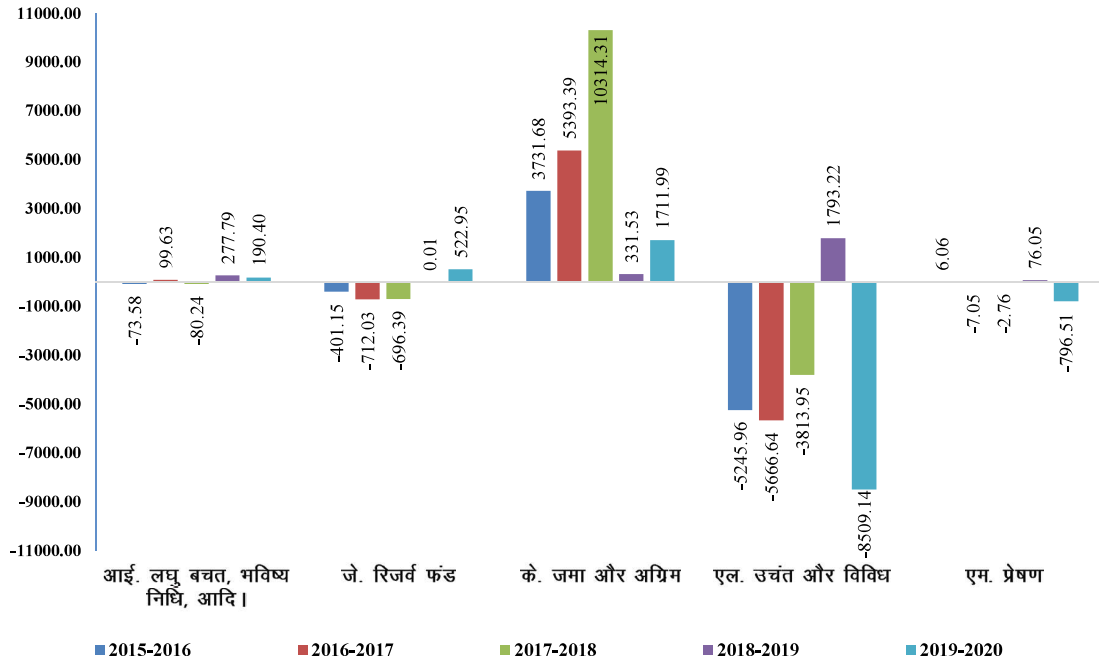
क्षेत्र	उप क्षेत्र	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
के. जमा और अग्रिम	(अ) ब्याज सहित जमा	15.46	24.46	(-)1.62	60.25	202.65
	(ब) ब्याज रहित जमा	3,722.89	5,369.64	10,317.65	368.13	1509.34
	(स) अग्रिम	(-)6.67	(-)0.71	(-)1.72	(-)96.85	0
एल. उचंत और विविध	(ब) उचंत	(-)571.80	(-)894.39	579.80	(-)345.13	(-)5773.58
	(स) अन्य लेखे	(-)4,674.15	(-)4,772.25	(-)4,393.75	2,138.36	(-)2735.55
	(द) विदेशी सरकारों के साथ खोले गये लेखे	(-)0.01	0	0	(-)0.01	(-)0.01
	(ई) विविध	-	-	-	-	-
एम. प्रेषण	(अ) धनादेश, और अन्य प्रेषण	6.06	(-)7.05	(-)2.76	76.05	(-)2.44
	(ब) अंतः सरकारी समायोजन लेखे	0	0	0	0	(-)794.07
कुल		**(-)1982.95**	**(-)892.70**	**5,720.97**	**2478.60**	**(-)6,880.31***

नोटः (+ve) डेबिट बैलेंस को दर्शाता है और (–ve) क्रेडिट बैलेंस को दर्शाता है
** इसमें कैश बैलेंस इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स और सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स शामिल हैं।*
(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

उचंत और विविध निधियों के अंतर्गत ऋणात्मक शेष विशेष रूप से उचंत लेखे (सिविल) में दर्शाए गए शेष के कारण लोक लेखा के बकाया रोकड़ शेष में वृद्धि हो गई है। वाउचर की अनुपलब्धता के कारण नकारात्मक आँकड़ों को व्यय या प्राप्तियों के अंतिम शीर्ष पर नहीं ले जाया जा सका। कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) ने ₹ 7,149.67 करोड़ की राशि के वाउचर तथा ₹ 63.59 करोड़ के चालान पर आपत्ति की है। अन्य राज्यों की ओर से किए गए लेन–देन के कारण अंतर सरकारी समायोजन लेखे में भी वृद्धि हुई। 2019–20 के दौरान, राज्य सरकार को ब्याज वाली आरक्षित निधि के अंतर्गत कैम्पा निधि में क्रेडिट के लिए ₹ 522.95 करोड़ प्राप्त हुए। राज्य सरकार ने इस निधि से कोई व्यय नहीं किया।

चार्ट 2.11: लोक लेखा शेषों की संरचना में वार्षिक परिवर्तन

(₹ करोड़ में)



(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

2.5.2 आरक्षित निधियाँ

आरक्षित निधियाँ राज्य सरकार के लोक लेखा के अंतर्गत विशिष्ट एंव परिभाषित उद्देश्यों के लिए सृजित की जाती हैं। इन निधियों को राज्य को समेकित निधि से अंशदान या अनुदान द्वारा पूरा किया जाता है।

वित्त लेखे के अनुसार, राज्य सरकार के पास नौ सक्रिय आरक्षित निधियाँ (तीन[11] ब्याज सहित एवं छः[12] ब्याज रहित वाली) हैं। इन फंडों में 31 मार्च 2020 के अंत तक कुल संचित शेष ₹ 549.27 करोड़ था। जिसमें से ₹ 522.95 करोड़ ब्याज वाली आरक्षित निधि के अंतर्गत और ₹ 26.32 करोड़ गैर–ब्याज वाले आरक्षित निधि के अंतर्गत थे।

इसके अलावा, वर्ष 2001–02 से ₹ 26.32 करोड़ मूल्य की आरक्षित निधि का परिचालन नहीं किया गया है। ऐसी आरक्षित निधियों का विवरण **तालिका 2.29** में दिया गया है।

तालिका 2.29– निष्क्रिय आरक्षित निधियों के संबंध में सूचना

(₹ लाख में)

क्रम सं.	मुख्य एवं लघु शीर्ष नामकरण के साथ		आरक्षित निधियों की संख्या	31 मार्च 2020 के शेष		अंतिम लेन देन का वर्ष
1	8115	103- मूल्यह्रास आरक्षित निधि– सरकारी वाणिज्यिक विभाग और उपक्रम	उपलब्ध नहीं	सी.आर. (Cr)	0.15	2018-19
2	8223	101- अकाल राहत निधि	उपलब्ध नहीं	सी.आर. (Cr)	33.98	*
		102- अकाल राहत निधि निवेश लेखा	उपलब्ध नहीं	डी.आर. (Dr)	9.61	*
3	8229	101- शैक्षिक उद्देश्यों के लिए विकास निधि	उपलब्ध नहीं	सी.आर. (Cr)	0.54	*
4	8235	101- सरकारी वाणिज्यिक विभागों/उपक्रमों की सामान्य आरक्षित निधि	उपलब्ध नहीं	सी.आर. (Cr)	314.41	2001-02
		102- जमींदारी उन्मूलन निधि	उपलब्ध नहीं	सी.आर. (Cr)	206.55	*
		200- अन्य निधियाँ	उपलब्ध नहीं	सी.आर. (Cr)	2,085.99	2001-02
कुल योग				**सी.आर. (Cr) जमा**	**2,632.01**	

(स्रोतः वर्ष 2019–20 के वित्त लेखे)

*अविभाजित बिहार से अंतर्निहित में मिला आंकड़ा। 15 नवंबर 2000 के बाद से कोई लेनदेन नहीं हुआ।

2.5.2.1 समेकित निक्षेप निधि (स.नि.नि.)

12वें वित्त आयोग ने सिफारिश की थी कि राज्यों को बैंकों से ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत निधि आदि के कारण देनदारियों सहित सभी ऋणों के परिशोधन के लिए निक्षेप निधियों की स्थापना करनी चाहिए, और इन निधियों का उपयोग ऋणों के मोचन को छोड़कर किसी अन्य परियोजना के लिए नहीं किया जाना चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) के दिशा–निर्देश, जो निधि के संचालन के लिए जिम्मेदार हैं, वर्ष की शुरुआत में बकाया देनदारियों का 0.5 प्रतिशत न्यूनतम वार्षिक योगदान निर्धारित करते हैं। इसके अलावा, संपूर्ण निधि का निवेश आर.बी.आई. द्वारा किया जाता है और निवेश का विस्तृत ब्योरा वित्त लेखा के विवरण–22 में दिया गया है।

राज्य सरकार ने 2008–09 में एक समेकित निक्षेप निधि की स्थापना की जो केवल बाजार ऋणों के परिशोधन के लिए थी और 2014–15 से, इसका उपयोग सरकार की बकाया देनदारियों के मोचन के

[11] मूल्यह्रास आरक्षित निधि–सरकारी वाणिज्यिक विभाग और उपक्रम, राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष और राज्य प्रतिपूरक वनीकरण कोष (एस.सी.ए.एफ.)

[12] निक्षेप निधि निवेश खाता, अकाल राहत कोष–निवेश खाता, शैक्षिक उद्देश्यों के लिए विकास निधि, सरकारी वाणिज्यिक विभागों/उपक्रमों की सामान्य आरक्षित निधि, जमींदारी उन्मूलन निधि और अन्य निधि।

लिए किया है। हालाँकि, इसकी स्थापना के बाद से इसका उपयोग नहीं किया गया। 31 मार्च 2020 को निधि का अंत शेष ₹ 5,740.12 करोड़ था। 31 मार्च 2020 तक उपार्जित ब्याज ₹ 150.44 करोड़ है।

2.5.2.2 राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि

भारत सरकार ने 1 अप्रैल 2010 से पूर्ववर्ती आपदा राहत निधि को राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (एस.डी.आर.एफ.) से बदल दिया। निधि के निर्देशानुसार, केंद्र और राज्यों को निधि में एक निश्चित अनुपात में अंशदान करने की आवश्यकता है। उक्त अंशदान लोक लेखा के मुख्य शीर्ष – 8121 में हस्तांतरित किया जाना है। वर्ष के दौरान व्यय का संचालन मुख्य शीर्ष – 2245 के द्वारा किया जाता है।

राज्य सरकारों को, आर.बी.आई. के ओवरड्राफ्ट विनियमन दिशानिर्देशों के अनुसार ओवरड्राफ्ट पर लागू ब्याज दर से एस.डी.आर.एफ. को ब्याज का भुगतान करना आवश्यक है। ब्याज अर्धवार्षिक आधार पर जमा किया जाना है। एस.डी.आर.एफ. के निवेश पर अर्जित आय के साथ एस.डी.आर.एफ. में वृद्धि को केंद्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों, नीलाम किए गए ट्रेजरी बिलों और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के साथ अन्य ब्याज अर्जित जमा में निवेश किया जाना है।

एस.डी.आर.एफ. का उपयोग केवल आपदा पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करने के खर्च को पूरा करने के लिए किया जाना है और आपदा तैयारी, उद्धार, पुनर्निर्माण और अल्पीकरण के प्रावधान को एस.डी.आर.एफ. का हिस्सा नहीं होना चाहिए। इस तरह के व्यय को सामान्य बजटीय शीर्षों/राज्य योजना निधियों आदि में बनाया जाना है। एसडीआरएफ को प्रभारित व्यय का विवरण **तालिका 2.30** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.30: एसडीआरएफ पर भारित व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

2245	प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत	स्थापना और प्रतिबद्ध	योजना		2019–20 के दौरान व्यय
			राज्य योजना	सी.एस.एस./ सी.ए.एस.	
01 सूखा					
101	अनुग्राहिक राहत	597.57	0.00	0.00	597.57
102	पेय जल आपूर्ति	0.00	0.00	0.00	0.00
282	लोक स्वास्थ्य	12.39	0.00	0.00	12.39
911	घटाऐं – अधिक अदायगियों की वसूली	(-)0.11	0.00	0.00	(-)0.11
कुल: 01		**609.85**	**0.00**	**0.00**	**609.85**
02 बाढ़, चक्रवात, आदि					
001	निदेशन और प्रशासन	0.00	0.00	0.00	0.00
101	अनुग्राहिक राहत	2,229.06	0.00	0.00	2,229.06
102	पेय जल आपूर्ति	0.21	0.00	0.00	0.21
104	चारे की पूर्ति	0.51	0.00	0.00	0.51
106	क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत तथा पुनः स्थापना	105.44	0.00	0.00	105.44
109	खराब जलापूर्ति, जल निकासी और मल–जल निर्माण कार्यों की मरम्मत तथा पुनः स्थापना	0.41	0.00	0.00	0.41
112	जनसंख्या का निष्क्रमण	37.08	0.00	0.00	37.08
113	घर की मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिए सहायता	7.95	0.00	0.00	7.95
114	कृषि लागतों के क्रय की खरीद के लिए किसानों को सहायता	528.21	0.00	0.00	528.21
117	पशुधन के क्रय के लिए किसानों को सहायता	0.40	0.00	0.00	0.40
118	मछली पकड़ने के लिए खराब नावों तथा उपकरणों की मरम्मत/प्रतिस्थापन के लिए सहायता	0.13	0.00	0.00	0.13
122	क्षतिग्रस्त सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण संबंधी निर्माण कार्यों की मरम्मत तथा पुनः स्थापना	3.73	0.00	0.00	3.73
799	उचंत	(-)0.13	0.00	0.00	(-)0.13
800	अन्य व्यय	15.50	0.00	0.00	15.50

2245	प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत	स्थापना और प्रतिबद्ध	योजना		2019–20 के दौरान व्यय
			राज्य योजना	सी.एस.एस./ सी.ए.एस.	
911	घटाऐं–अधिक अदायगियों की वसूली	(-)6.28	(-)1.24	0.00	(-)7.52
कुल : 02		**2,922.22**	**(-)1.24**	**0.00**	**2,920.99**
05 राज्य आपदा राहत निधि					
101	आरक्षित निधि और जमा लेखा के अंतरण–आपदा राहत निधि	1,241.50	0.00	0.00	1,241.50
901	घटाऐं– राज्य आपदा राहत निधि से पूरी की गई	(-)1,241.50	0.00	0.00	(-)1,241.50
कुल : 05		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
06 भूकंप					
113	घर की मरम्मत– पुर्ननिर्माण के लिए सहायता	0.01	0.00	0.00	0.01
कुल : 06		**0.01**	**0.00**	**0.00**	**0.01**
80 सामान्य					
001	निदेशन और प्रशासन	22.35	0.00	0.99	23.34
102	प्राकृतिक आपदा का प्रबंधन– आपदा वाले क्षेत्रों के लिए आकस्मिक योजनाएँ	41.34	0.11	0.00	41.45
800	अन्य व्यय	0.00	0.40	0.00	0.40
911	घटाऐं – अधिक अदायगियों की वसूली	(-)3.52	(-)0.00	0.00	(-)3.53
कुल : 80		**60.16**	**0.51**	**0.99**	**61.66**
कुल : 2245		**3,592.14**	**(-)0. 73**	**0.99**	**3,592.41**

(स्रोतः वर्ष 2019–20 के वित्त लेखे)

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि के लिए केन्द्र सरकार से ₹ 553.17 करोड़ की राशि प्राप्त हुई है जिसे लोक लेखा में मुख्य शीर्ष –8121 के अन्तर्गत निधि में अंतरित नहीं किया गया है। इसके परिणामस्वरूप राजस्व घाटे और राजकोषीय घाटे को उस सीमा तक कम करके दिखाया गया।

2.5.2.3 गारंटी मोचन निधि

राज्य सरकार राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या अन्य निकायों द्वारा जारी किए गए बाँडों और अन्य उधारों के संबंध में सरकार द्वारा जारी गारंटियों से उत्पन्न भुगतान दायित्वों को पूरा करने के लिए 'गारंटी मोचन निधि' का गठन करती है और लाभार्थियों द्वारा लागू किया जाता है। निधि में जमा राशि का उपयोग केवल सरकार द्वारा जारी गारंटियों के भुगतान के लिए किया जाना है और उन संस्थानों द्वारा भुगतान नहीं किया जाना है जिनकी ओर से गारंटी जारी की गई थी।

राज्य सरकार ने 12वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार न तो गारंटी मोचन निधि बनाया है और न ही गारंटी की उच्चतम सीमा तय करने के लिए कोई नियम बनाया है। राज्य सरकार ने उन अनुशंसाओं के अनुसार ₹ 27.51 करोड़ (वर्ष 2019–20 के प्रारंभ में ₹ 5,501.86 करोड़ की बकाया गारंटियों का 0.5 प्रतिशत) का न्यूनतम वार्षिक अंशदान नहीं किया।

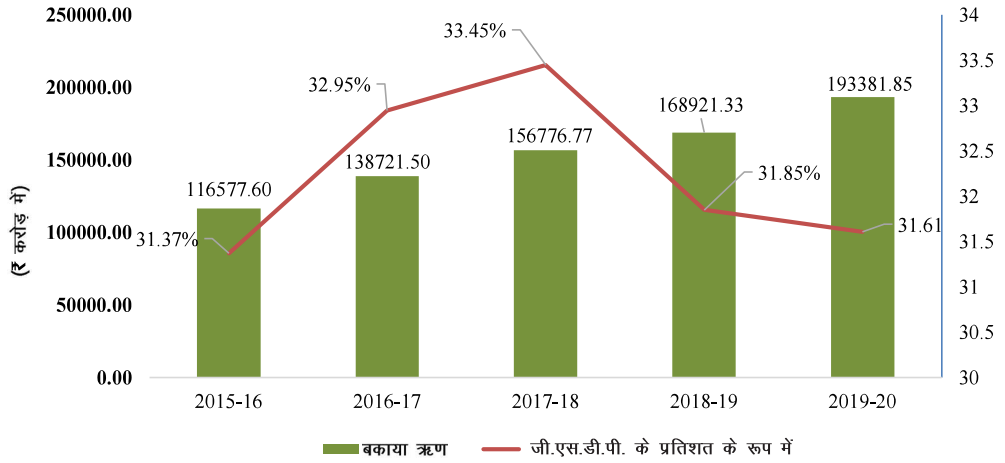
राज्य सरकार को चालू वित्त वर्ष से पूर्व के दूसरे वित्तीय वर्ष के अंत में बकाया गारंटियों के कम से कम 0.5 प्रतिशत के बराबर राशि का योगदान करना आवश्यक था जैसा कि महालेखाकार (ले. एवं हक.) द्वारा बनाए गए लेखों की पुस्तकों में दर्शाया गया है। यह राशि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा निवेश किया जाता है।

2.6 ऋण प्रबंधन

ऋण प्रबंधन सरकार के ऋण के प्रबंधन के लिए एक रणनीति को स्थापित करने और क्रियान्वित करने की प्रक्रिया है ताकि आवश्यक मात्रा में धन जुटाया जा सके, इसके जोखिम और लागत उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके, और सरकार द्वारा अधिनियमित या कोई अन्य वार्षिक बजट घोषणाओं से सरकार

द्वारा निर्धारित किसी भी अन्य संप्रभु ऋण प्रबंधन लक्ष्यों को पूरा किया जा सके। राज्य के बकाया ऋण का प्रवृत्ति विश्लेषण **चार्ट 2.12** में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.12: राज्य का बकाया ऋण



(स्रोत: संबंधित वर्ष के वित्त लेखा एवं एम.ओ.एस.पी.आई.)

जी.एस.डी.पी. के सापेक्ष ऋण वर्ष 2018–19 में 31.85 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2019–20 में 31.61 प्रतिशत हो गया लेकिन बी.एफ.आर.बी.एम. के लक्ष्य 25.73 प्रतिशत से काफी दूर है।

2.6.1 ऋण की रूप रेखा: घटक

राज्य सरकार का कुल ऋण आम तौर पर राज्य के आंतरिक ऋण (बाजार ऋण, आर.बी.आई. से अर्थोपाय अग्रिम, राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ और वित्तीय संस्थानों से ऋण, आदि), केंद्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम और लोक लेखा देयताओं से बना होता है। घटक वार ऋण प्रवृत्तियों को **तालिका 2.31** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.31: घटक वार ऋण प्रवृत्तियाँ

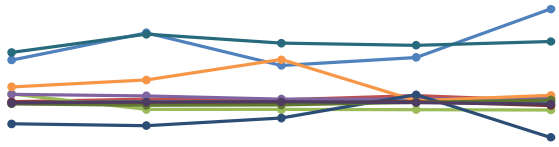
(₹ करोड़ में)

		2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
बकाया कुल ऋण		1,16,577.60	1,38,721.50	1,56,776.77	1,68,921.33	1,93,381.85
लोक ऋण	*आंतरिक ऋण*	*79,990.32*	*96,595.00*	*1,04,524.76*	*1,14,359.69*	*1,36,082.09*
	भारत सरकार से ऋण	*8,838.30*	*9,595.81*	*10,181.92*	*11,785.37*	*12,098.16*
लोक लेखे पर देयताएँ		*27,748.98*	*32,530.69*	*42,070.09*	*42,776.27*	*45201.60*
बकाया समग्र ऋण की वृद्धि दर (प्रतिशतता)		17.69	18.99	13.02	7.75	14.48
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.)		3,71,602	4,21,051	4,68,746	5,30,363	6,11,804
ऋण/जी.एस.डी.पी. (प्रतिशतता)		31.37	32.95	33.45	31.85	31.61
कुल ऋण प्राप्तियाँ		56,030.22	72,845.19	59,412.45	73,806.02	94,193.12
कुल ऋण पुनर्भगतान		38,508.43	50,701.29	41,357.18	61,661.46	69,732.59
कुल उपलब्ध ऋण		17,521.79	22,143.90	18,055.27	12,144.56	24,460.53
ऋण पुनर्भगतान/ऋण प्राप्तियाँ (प्रतिशतता)		68.73	69.60	69.61	83.55	74.03

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखा और एम.ओ.एस.पी.आई.)

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि 2015–20 के दौरान बकाया ऋण का और जी.एस.डी.पी. से अनुपात 31.37 प्रतिशत से बढ़कर 33.45 प्रतिशत हो गया। राज्य का कुल ऋण पिछले पाँच वर्षों से बढ़ रहा है। आंतरिक ऋण प्रमुख घटक (68 प्रतिशत से 70 प्रतिशत) था जिसमें बाजार उधार शामिल हैं। पिछले वर्ष की तुलना में जी.एस.डी.पी. अनुपात में ऋण लगभग स्थिर है लेकिन अभी भी राज्य के बजट अनुमान से अधिक है। जी.एस.डी.पी. से ऋण का अनुमान चौदहवें वित्त आयोग (24.93 प्रतिशत) और बी.एफ.आर.बी.एम. (25.73 प्रतिशत) के अनुमान से अधिक है। लोक लेखा की बकाया देनदारियाँ भी पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ी हैं जो कि जी.एस.डी.पी. का 7.38 प्रतिशत और बकाया समग्र ऋण का 23.37 प्रतिशत था। बकाया कुल ऋण 14.48 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा था। 2019–20 के दौरान, राज्य को 2008–09 के बाद पहली बार राजस्व घाटे का सामना करना पड़ा और इसकी भरपाई लोक ऋण से की गई है। पूँजीगत व्यय का पूँजीगत प्राप्तियों से अनुपात पिछले तीन वर्षों के दौरान घटती प्रवृत्ति का था जो समग्र आर्थिक मंदी का प्रभाव था।

चार्ट 2.13: घटक वार ऋण प्रवृत्तियाँ

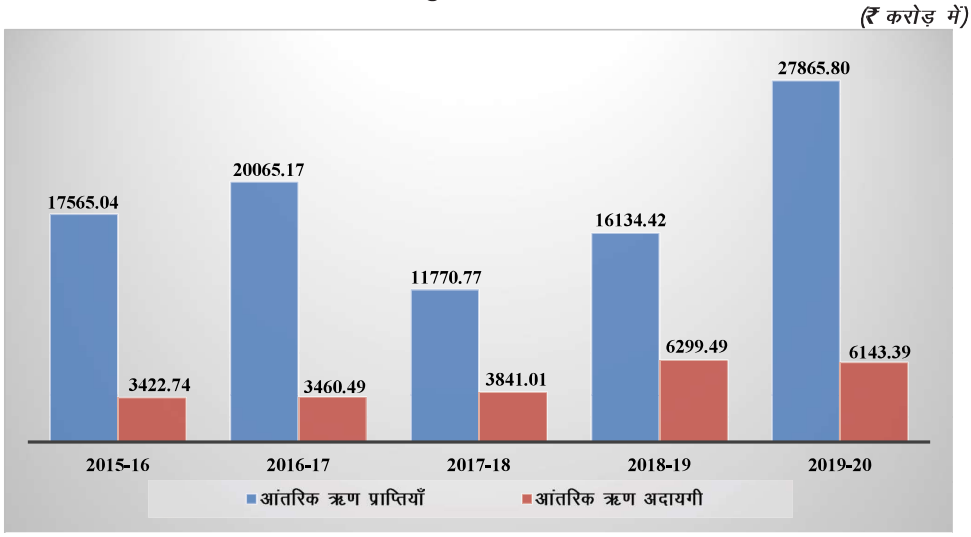


	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
बाजार उधारी	10,233.12	16,804.96	8,908.00	10,903.07	22,572.54
भारत सरकार से ऋण	115.86	757.51	586.11	1603.45	312.79
एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ	2024.86	-1,713.12	-1,768.75	-1,819.02	-1,888.35
वितीय संस्थानो से ऋण	1,884.33	1,512.84	790.51	750.88	1,038.21
लघु बचत, पीएफ, आदि	-73.58	99.63	-80.25	277.8	190.4
जमा एवं अग्रिम	3,731.69	5,393.40	10,314.32	331.52	1,711.99
उचंत एवं विविध	-5,245.97	-5,666.65	-3813.95	1,793.23	-8509.14
प्रेषण	6.05	-7.05	-2.76	76.05	-796.5
आरक्षित निधि	-401.15	-712.03	-696.39	0	522.95
नकद शेष में वृद्धि/कमी	-213.62	9.66	68	-110.22	-430.95
सकल राजकोषीय घाटा	12,061.59	16,479.15	14,304.83	13,806.76	14,723.93

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

चार्ट 2.14: अदायगी की तुलना में लिया गया आंतरिक ऋण

(₹ करोड़ में)



(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

तालिका 2.32: राजकोषीय घाटे के घटक और इसके वित्तपोषण पैटर्न

(₹ करोड़ में)

विवरण		2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
राजकोषीय घाटे की संरचना						
1	राजस्व अधिशेष(+)/घाटा(-)	12,507.16	10,819.81	14,823.01	6,896.65	(-)1784.13
2	निवल पूँजीगत व्यय	23,966.02	27,208.40	28,906.95	21,058.25	12,303.90
3	निवल ऋण एवं अग्रिम	602.73	90.56	220.90	(-)354.84	635.90
राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण पैटर्न						
1	बाजार उधारी	10,233.12	16,804.96	8,908.00	10,903.07	22,572.54
2	भारत सरकार से ऋण	115.86	757.51	586.11	1,603.45	312.79
3	एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ	2,024.86	(-)1,713.12	(-)1,768.75	(-)1,819.02	(-)1,888.35
4	वित्तीय संस्थानों से ऋण	1,884.33	1,512.84	790.51	750.88	1,038.22
5	छोटी बचत, पीएफ, आदि।	(-)73.58	99.63	(-)80.25	277.8	190.40
6	जमा और अग्रिम	3,731.69	5,393.40	10,314.32	331.52	1,711.99
7	उचंत और विविध	(-)5,245.97	(-)5,666.65	(-)3,813.95	1,793.23	(-)8,509.14
8	प्रेषण	6.05	(-)7.05	(-)2.76	76.05	(-)796.50
9	आरक्षित निधि	(-)401.15	(-)712.03	(-)696.39	0	522.95
10	**समग्र घाटा**					15,154.89
11	नकद शेष में वृद्धि/कमी	(-)213.62	9.66	68	(-)110.22	(-)430.95
12	**सकल राजकोषीय घाटा**	12,061.59	16,479.15	14,304.83	13,806.76	14,723.93

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

राजकोषीय घाटा (एफ.डी.), मात्रात्मक शर्तें एवं जी.एस.डी.पी. (2.41 प्रतिशत) के तुलना, दोनों के अनुसार पिछले वर्ष से (2.60 प्रतिशत) घट गया। वर्ष 2019–20 में पूँजीगत व्यय पिछले वर्ष से 41.57 प्रतिशत था जो दर्शाता है कि वर्तमान वर्ष में एफ.डी. से उत्पादक परिसंपत्तियों का निर्माण काफी कम हुआ है।

2.6.2 ऋण की रूप रेखा: परिपक्वता और पुनर्भुगतान

ऋण परिपक्वता और पुनर्भुगतान प्रोफ़ाइल ऋण पुनर्भुगतान या ऋण शोधन के लिए सरकार की ओर से प्रतिबद्धता दर्शाती है।

तालिका 2.33: राज्य ऋण की अदायगी की ऋण परिपक्वता रूप रेखा

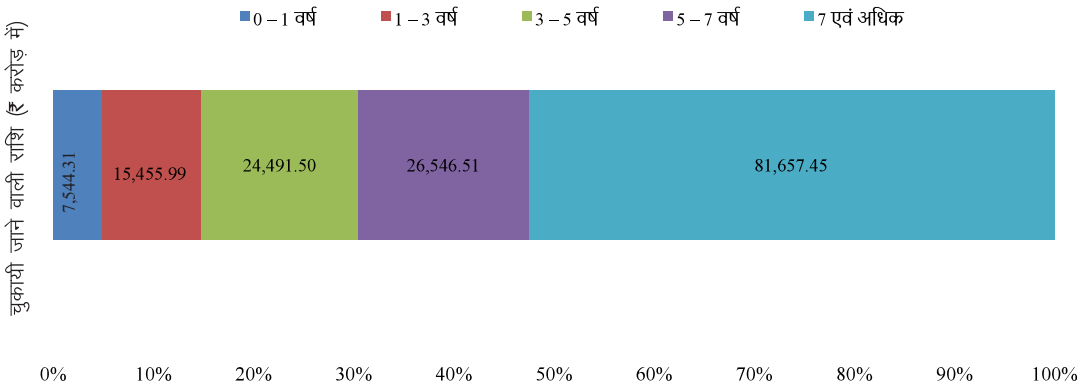
पुनर्भुगतान की अवधि (वर्ष)	राशि (₹ करोड़ में)	प्रतिशतता (लोक ऋण के सापेक्ष)
0 – 1	7,544.31	4.85
1 – 3	15,455.99	9.92
3 – 5	24,491.50	15.73
5 – 7	26,546.51	17.05
7 एवं अधिक	81,657.45	52.45
अन्य[13]	0	-
कुल	**1,55,695.76**	**100.00**

(स्रोतः वर्ष 2019–20 के वित्त लेखे)

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि राज्य का 50 प्रतिशत से अधिक ऋण 7 और उससे अधिक वर्षों के लिए है। राज्यों के ऋण की परिपक्वता रूप रेखा उसके पुनर्भुगतान बोझ में वर्ष–दर–वर्ष वृद्धि दर्शाता है।

[13] इस राशि का भुगतान विवरणी, महालेखाकार (लेखा एवं हक) द्वारा नहीं रखा जा रहा है।

चार्ट 2.15: ऋण परिपक्वता रूप रेखा



(स्रोतः वर्ष 2019–20 के वित्त लेखे)

2.7 ऋण स्थिरता विश्लेषण (डी.एस.ए.)

ऋण स्थिरता भविष्य में अपने ऋणों को चुकाने के लिए राज्य की क्षमता को इंगित करता है। राज्य सरकार के ऋण की मात्रा के अलावा, विभिन्न संकेतकों का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है जो राज्य की ऋण स्थिरता को निर्धारित करते हैं। **तालिका 2.34** 2015–20 की अवधि के लिए ऋण स्थिरता का संकेतक प्रस्तुत करता है।

तालिका 2.34: ऋण स्थिरता संकेतकों में प्रवृत्तियाँ

ऋण स्थिरता संकेतक	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
बकाया लोक ऋण*	88,828.63	1,06,190.81	1,14,706.68	1,26,145.06	1,48,180.25
बकाया लोक ऋण की वृद्धि दर	19.12	19.55	8.02	9.97	17.47
जी.एस.डी.पी.	3,71,602	4,21,051	4,68,746	5,30,363	6,11,804
जी.एस.डी.पी. की वृद्धि दर	8.35	13.31	11.33	13.15	15.36
ऋण / जी.एस.डी.पी.	0.24	0.25	0.24	0.24	0.24
राज्य ऋण के पुनर्भुगतान की ऋण परिपक्वता प्रोफाइल – डिफॉल्ट इतिहास सहित, यदि कोई हो	4,124.85	4,214.57	4,653.55	7,229.82	7,109.83
बकाया लोक ऋण की औसत ब्याज दर (प्रतिशत)	7.68	7.67	7.73	7.68	7.58
राजस्व प्राप्तियों पर ब्याज भुगतान की प्रतिशतता	6.53	7.09	7.27	7.02	8.37
ऋण प्राप्ति के लिए ऋण पुनर्भुगतान की प्रतिशतता	22.44	19.53	35.34	38.73	24.39
राज्य को उपलब्ध निवल ऋण#	7,980.99	9,881.42	(-) 24.97	2,190.02	11,631.63
ऋण प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में उपलब्ध निवल ऋण	43.42	45.80	(-) 0.19	11.73	39.91
ऋण स्थिरीकरण (क्वांटम स्प्रेड + प्राथमिक घाटा)	64,569.49	6,06,690.61	4,17,593.18	6,93,163.81	11,55,222.71

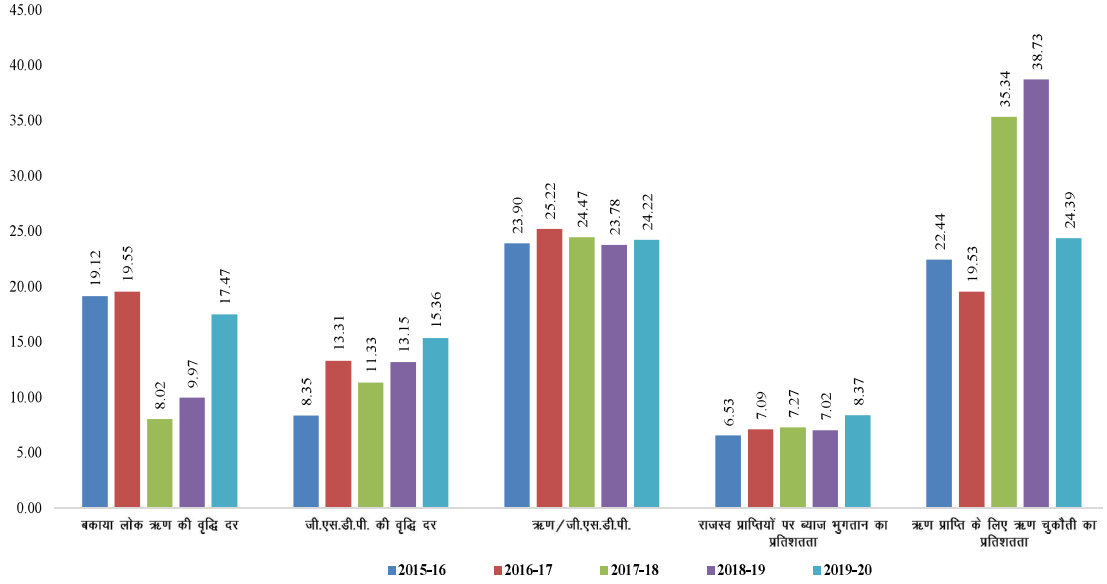
(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

* बकाया लोक ऋण शीर्ष 6003 और आंतरिक ऋण शीर्ष 6004– केंद्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम के तहत बकाया शेष राशि का योग है।

राज्य सरकार को उपलब्ध शुद्ध ऋण की गणना लोक ऋण भुगतान पर लोक ऋण प्राप्तियों की अधिकता और लोक ऋण पर ब्याज भुगतान के रूप में की जाती है।

लोक ऋण की वृद्धि दर वर्ष के दौरान राज्य के जी.एस.डी.पी. की वृद्धि दर से अधिक है जो कि राजकोषीय संकेतक का अच्छा संकेत नहीं है। राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष ब्याज भुगतान का प्रतिशत पिछले पाँच वर्षों में सबसे अधिक है तथा चौदहवें वित्त आयोग के अनुमान (6.03 प्रतिशत) से अधिक है, लेकिन बी.एफ.आर.बी.एम. की सीमा के भीतर (राजस्व प्राप्तियों के 10 प्रतिशत से कम) है। ऋण पुनर्भुगतान से ऋण प्राप्ति का प्रतिशत पिछले वर्ष से घट रहा है जो दर्शाता है कि राज्य के पास अन्य उद्देश्यों के लिए पुनर्भुगतान के बाद अधिक ऋण है। राज्यों के लोक ऋण की वृद्धि दर एक बढ़ती हुई प्रवृत्ति को दर्शाती है लेकिन पूँजीगत व्यय की वृद्धि दर पिछले तीन वर्षों के लिए एक नकारात्मक प्रवृत्ति दर्शाती है। तात्पर्य यह है कि राज्य का लोक ऋण पूँजी निर्माण के लिए उपयोग नहीं किया जा रहा है।

चार्ट 2.16: ऋण स्थिरता संकेतकों की प्रवृत्ति



(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

2.7.1 उधार ली गई धनराशि का उपयोग

उधार ली गई धनराशि का उपयोग आदर्श रूप से पूँजी निर्माण और विकासात्मक गतिविधियों के लिए किया जाना चाहिए। वर्तमान खपत को पूरा करने और बकाया ऋणों पर ब्याज की अदायगी के लिए उधार ली गई धनराशि का उपयोग धारणीय नहीं है। उधार ली गई निधियों का उपयोग नीचे **तालिका 2.35** में दिखाया गया है।

तालिका 2.35: उधार ली गई धनराशि का उपयोग

(₹ करोड़ में)

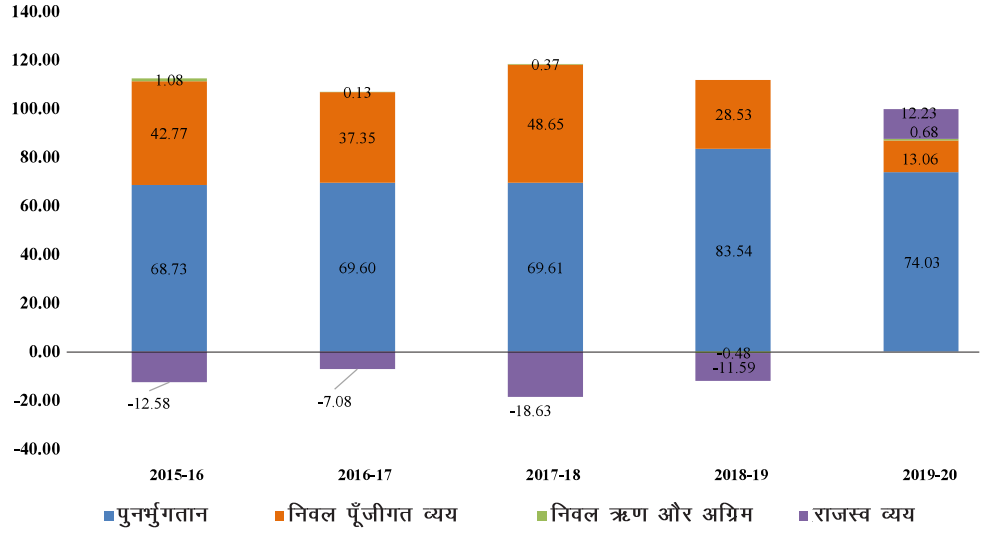
वर्ष		2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
कुल उधारी	2	56,030.22	72,845.19	59,412.45	73,806.02	94,193.12
पहले के उधारों की पुनर्भुगतान (मूलधन)	3	38,508.43	50,701.29	41,357.18	61,661.46	69,732.59
निवल पूँजीगत व्यय	4	23,966.02	27,208.40	28,906.95	21,058.25	12,303.90
निवल ऋण एवं अग्रिम	5	602.73	90.56	220.90	(-)354.84	635.90
निवल उपलब्ध उधारों में से राजस्व व्यय का एक भाग पूरा किया गया	6=2-3-4-5	(-)7,046.96	(-)5,155.06	(-)11,072.58	(-)8,558.85	11,520.73

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि राज्य की कुल उधारी पूर्व के उधारों के पुनर्भुगतान और पूँजीगत व्यय के लिए खर्च की गई है, लेकिन 2019–20 के दौरान, राजस्व व्यय के हिस्से में ₹ 11,520.73 करोड़ की राशि खर्च की गई है जिसे उधार के निवल उपलब्ध से पूरा किया गया है ।

चार्ट 2.17: उधार ली गई धनराशि का उपयोग की प्रवृत्ति

(प्रतिशत में)



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

उपरोक्त चार्ट से यह देखा जा सकता है कि पिछले पाँच वर्षों से राज्य ऋण का 60 प्रतिशत से अधिक पूर्व ऋणों की अदायगी के लिए खर्च किया जा रहा है। इस प्रकार उधार ली गई निधियों से पूँजीगत व्यय के लिए बहुत कम राशि बचती है। जैसा कि प्रवृत्ति विश्लेषण से पता चलता है कि उधार ली गई निधियों से पूँजीगत व्यय कम करने की प्रवृत्ति है। वर्ष 2019–20 के लिए, राज्य के राजस्व घाटे के कारण 12.23 प्रतिशत राजस्व व्यय के रूप में उपयोग किया गया है।

2.7.2 गारंटियों की स्थिति – आकस्मिक देयताएँ

गारंटियाँ उधारकर्ता द्वारा चूक के मामले में राज्य की समेकित निधि पर आकस्मिक देनदारियाँ हैं जिसके लिए गारंटी की व्यवस्था की गई है। राज्य सरकारों ने गारंटियों की अधिकतम सीमा के संबंध में कानून या निर्देश स्पष्ट किया है। उदाहरण के लिए, कुछ राज्यों में, सरकारी गारंटियाँ दूसरे पूर्ववर्ती वर्ष के राज्य के कर और करेत्तर राजस्व के एक निश्चित प्रतिशत तक सीमित किया जाना है। राज्य सरकार द्वारा दी गई गारंटियों को **तालिका 2.36** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.36: राज्य सरकार द्वारा दी गई गारंटियाँ

(₹ करोड़ में)

गारंटियाँ	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
ब्याज सहित गारंटियों की बकाया राशि पर लागू सीमा (मानदंड)	9,763.37	13,459.21	20,581.52	21,181.52	21,181.52
ब्याज सहित गारंटियों की बकाया राशि	4,838.64	4,637.62	5,271.70	5,501.86	5,484.56

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

गारंटीकृत बकाया राशि की रचना इस प्रकार थी, बिजली (₹ 12,166.91 करोड़), सहकारी (₹ 1,268.84 करोड़), सिंचाई (₹ 4.93 करोड़), सड़क और परिवहन (₹ 2,000.00 करोड़), राज्य वित्तीय निगम (₹ 183.57 करोड़),

शहरी विकास और आवास (₹ 90.00 करोड़), अन्य अवसंरचना (₹ 33.76 करोड़) और अन्य (₹ 5,086.09 करोड़)।

लोक उपक्रमों को बैंकों और वित्तीय संस्थानों से वित्तीय सहायता प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए, राज्य सरकार भारत के संविधान द्वारा निर्धारित सीमाओं के अधीन एक गारंटी देती है जिसके लिए एक गारंटी शुल्क लिया जाता है। बिहार सरकार के संकल्प संख्या 7498 दिनांक 5 जुलाई, 1974 के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम 1/8 प्रतिशत वार्षिक की दर से गारंटी शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, जिसकी गारंटी राशि ₹ 10 लाख से अधिक है। गारंटी शुल्क की वसूली के लिए गारंटी विलेख में कोई खंड नहीं था। बिहार सरकार ने भी लोक उपक्रमों से गारंटी शुल्क का दावा नहीं किया। हालाँकि, 2019–20 में केवल एक कंपनी (बिहार राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम) से ₹ 3.13 करोड़ की गारंटी शुल्क प्राप्त हुई।

2.7.3 नकद शेष का प्रबंधन

भारतीय रिजर्व बैंक के साथ एक समझौते के अनुसार, राज्य सरकारों को बैंक के साथ न्यूनतम दैनिक नकद शेष बनाए रखना होता है। यदि किसी दिन शेष राशि सहमत न्यूनतम से कम हो जाती है, तो समय–समय पर सामान्य अर्थोपाय अग्रिम/विशेष अर्थोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट लेकर कमी को पूरा किया जाता है। राज्य सरकार के लिए सामान्य अर्थोपाय अग्रिम की सीमा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय–समय पर संशोधित की जाती है।

राज्य सरकार अपने अधिशेष नकद शेष को लघु और दीर्घकालिक भारत सरकार की प्रतिभूतियों और ट्रेजरी बिलों में निवेश करती है। इस तरह के निवेश से प्राप्त लाभ को '0049–ब्याज प्राप्तियाँ' शीर्ष के तहत प्राप्तियों के रूप में जमा किया जाता है। नकद शेष राशि को समेकित निक्षेप निधि, गारंटी मोचन निधि में भी निवेश किया जाता है।

यह वांछनीय नहीं है कि राज्य सरकार बड़े नकद शेष होने के बावजूद बाजार ऋण का आश्रय लेती है जिससे नकद शेष राशि को उत्पादक उपयोग में लाए बिना और इसमें अधिक अभिवृद्धि होती है। नकद शेष राशि और उनके निवेश और नकद शेष निवेश लेखों का विवरण क्रमशः **तालिका 2.37** और **2.38** में दिखाया गया है।

तालिका 2.37: नकद शेष और उनका निवेश

(₹ करोड़ में)

	1 अप्रैल 2019 को प्रारंभिक शेष	31 मार्च 2020 को अंत शेष
अ. सामान्य नकद शेष		
कोषागार में नकद	-	-
भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा	157.12	588.07
अन्य बैंकों में जमा	-	-
पारगमन में प्रेषण – स्थानीय	-	-
नकद शेष निवेश लेखे में धारित निवेश	14,791.80	17,588.74
कुल (अ)	**14,948.92**	**18,176.81**
ब. अन्य नकद शेष और निवेश		
विभागीय अधिकारियों अर्थात लोक निर्माण, वन अधिकारियों के पास नकद	234.65	234.65
विभाग के अधिकारियों के पास आकस्मिक व्यय के लिए स्थायी अग्रिम	758.52	760.97
निर्धारित निधि में निवेश	4,895.22	5,740.22
कुल (ब)	**5,888.39**	**6,735.84**
कुल (अ+ब)	**20,837.31**	**24,912.65**
ब्याज प्राप्तियाँ	**909.08**	**938.84**

(स्रोतः वर्ष 2019–20 के वित्त लेखे)

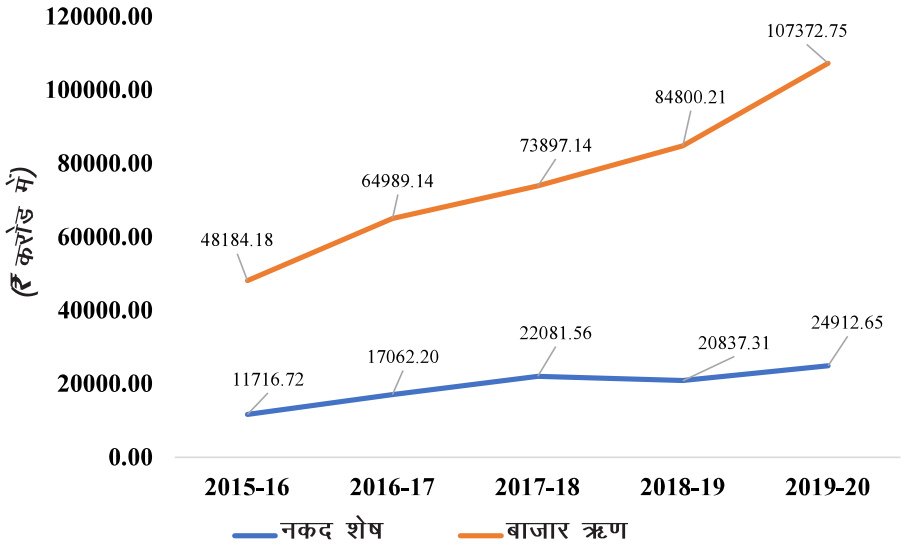
तालिका 2.38: नकद शेष निवेश लेखा (मुख्य शीर्ष–8673)

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष	अंत शेष	वृद्धि (+) / कमी (-)	अर्जित ब्याज
2015-16	3,528.80	8,199.24	4,670.44	453.33
2016-17	8,199.24	13,001.71	4,802.47	804.44
2017-18	13,001.71	17,395.63	4,393.92	799.82
2018-19	17,395.63	14,791.80	(-)2,603.83	909.08
2019-20	14,791.80	17,588.74	2,796.94	938.84

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

चार्ट 2.18: नकद शेष की तुलना में बाजार ऋण

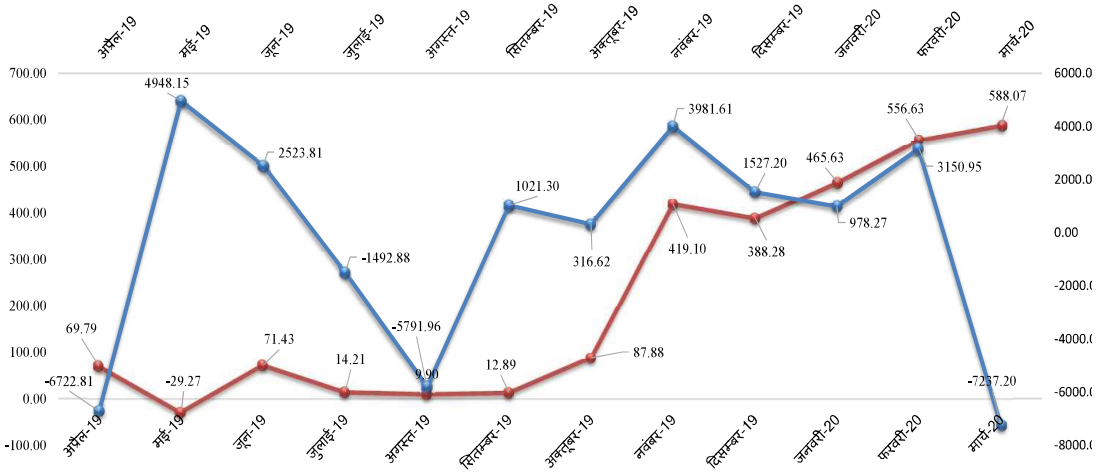


(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

नकद शेष निवेश लेखे में ₹ 17,588.74 करोड़ की अंतिम शेष राशि होने के बावजूद सरकार ने बाजार ऋण का आश्रय लिया जबकि इस वर्ष के लिए निवल बाजार ऋण ₹ 22,572.54 करोड़ है। गौरतलब है कि नकद शेष निवेश लेखा की राशि संचयी होती है।

चार्ट 2.19: वर्ष के दौरान नकद शेष राशि और शुद्ध नकद शेष निवेश का माहवार संचलन

(₹ करोड़ में)



(स्रोत: वर्ष 2019–20 के मासिक सिविल लेखे)

ऊपर दिए गए चार्ट से पता चलता है कि दूसरी छमाही में नकद शेष राशि पहली छमाही की तुलना में अधिक है क्योंकि इस अवधि में आने वाले भारत सरकार से अधिकांश निधि (73 प्रतिशत) प्राप्त होने के कारण है। इसके अलावा, इसी अवधि से यह भी पता चलता है कि राज्य इस अवधि में अधिशेष नकदी के कारण नकद शेष निवेश लेखों को डेबिट कर रहा है।

2.8 निष्कर्ष और अनुशंसाएँ

घाटा संकेतक, राजस्व वृद्धि और व्यय प्रबंधन सरकार के वित्तीय प्रदर्शन का आकलन करने का प्रमुख मानदंड हैं।

सकारात्मक संकेतक	नकारात्मक संकेतक
राजकोषीय घाटा राज्य के एफ.आर.बी.एम. अधिनियम की सीमा के भीतर था।	राज्य की राजस्व प्राप्तियों में कमी
राज्य के अपने संसाधनों (कर राजस्व) में थोड़ी वृद्धि हुई है।	कुल व्यय में पूँजीगत व्यय का घटा हुआ प्रतिशतता
भारत सरकार की ओर से मिलने वाली अनुदान राशि में वृद्धि हुई है।	प्रतिबद्ध व्यय में वृद्धि
निक्षेप निधि निवेश लेखे में निवेश बढ़ा दिया गया है।	बी.एफ.आर.बी.एम. अधिनियम की सीमा से अधिक जी.एस.डी.पी.अनुपात से ऋण का अनुपात बढ़ना।
	बिगड़ते ऋण स्थिरता संकेतक
	गारंटी मोचन निधि का निर्माण न करना।

अनुशंसाएँ:–

वित्त विभाग को समीक्षा करनी चाहिए:–

- बजट तैयार करने की प्रक्रिया, ताकि बजट अनुमानों और वास्तविक के बीच की खाई को कम किया जा सके।
- यह सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र तैयार करें कि राजस्व के बकाया को शीघ्रता से एकत्र किया जा सके ताकि राज्य के राजकोषीय घाटे के बोझ को कम किया जा सके।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि कर्मचारी की कटौती पूरी तरह से काटी जाती है, सरकार द्वारा भी योगदान दिया जाता है, और समय पर पूरी तरह से एन.एस.डी.एल. को हस्तांतरित की जाती है।
- परियोजनाओं को समय पर पूरा करना सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र है। सभी अधूरी परियोजनाओं के संशोधित अनुमान तैयार किए जाने चाहिए और प्राथमिकता के आधार पर अनुमोदित किए जाने चाहिए ताकि इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक धनराशि का वास्तविक मूल्यांकन किया जा सके।
- उन संस्थाओं में, जिनका वित्तीय प्रदर्शन पूँजी की उधार लागत को पूरा नहीं करता है, कोई निवेश नहीं किया जाना चाहिए या उन संस्थाओं को ऋण नहीं दिया जाना चाहिए जिनके लेखे बकाया हो।
- सभी आरक्षित निधियाँ जिनमें पिछले कई वर्षों से कोई लेन–देन नहीं हुआ है, उन्हें बंद कर देना चाहिए।
- बजटीय राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने ब्याज भुगतान को बाधित करना।